लेखे एक नज़र में
2009-10

विषय सूची

भूमिका 3

विहंगावलोकन 4

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां 9

वित्तीय विवरण 15

प्राप्तियां 18

व्यय 22

ऋण और अन्य देयताएं 27

विनियोग लेखे 33

परिशिष्ट 37

1. दस वर्षीय सारांश
2. करेतर राजस्वों का विवरण
3. वाणिज्यिक प्राप्तियों का विवरण
4. ब्याज वाले बाजार कर्ज का परिपक्वता ब्योरा
5. योजनेतर व्यय का विवरण
6. आर्थिक सहायताओं का विवरण
7. वेतन और भत्तों पर व्यय
8. ₹ 1000 करोड़ से अधिक की बजट सहायता वाली मुख्य योजना स्कीमों पर व्यय
9. मंत्रालयों और विभागों का व्यय
10. ₹ 100 करोड़ अथवा इससे अधिक की बचत वाले अनुदान/विनियोग

लेखे एक नज़र में

2009-10

भूमिका

संविधान के अनुच्छेद 150 में "नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के परामर्श पर राष्ट्रपति जिस रूप में निर्धारित करें" सरकार के लेखों का रख-रखाव करने का प्रावधान किया गया है। लेखों के स्वरूप और अंशों के निर्धारण संबंधी कार्यकारी शक्तियां कार्य का आवंटन नियमावली के अधीन महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय का दायित्व है। महालेखा नियंत्रक को संघ सरकार के वित्त लेखे और विनियोग लेखे (सिविल) तैयार करने का भी दायित्व सौंपा गया है।

वित्त लेखों में सिविल मंत्रालयों और गैर-सिविल मंत्रालयों अर्थात रक्षा, डाक और रेलवे के लेन देनों को शामिल करके संघ सरकार के समग्र लेखे तैयार किए जातें हैं। इनमें भारत की समेकित निधि, लोक लेखों, लोक ऋण लेखों, अन्य देयताओं और लेखों में यथा अभिलिखित परिसम्पत्तियों से होने वाली प्राप्तियों और निर्गमों के लेखों सहित संघ सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण शामिल होते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 114 में निर्धारित किया गया है कि "भारत की समेकित निधि से इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार पारित विधि द्वारा किए गए विनियोग के अधीन राशि को छोड़कर कोई धनराशि आहरित नहीं की जाएगी"। विनियोग लेखे संसद द्वारा विभिन्न मांगों के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए विनियोगों का सरकारी विभागों द्वारा अनुपालन दर्शाने के लिए तैयार किए जाते हैं। मूल मांग और अंतिम विनियोग और वास्तविक व्यय के बीच महत्वपूर्ण अंतर (अधिक व्यय और बचत दोनों) के लिए स्पष्टीकरण दिया जाता है। सभी सिविल मंत्रालयों के लेन-देनों को शामिल करके विनियोग लेखे संसद में पेश करने के लिए महालेखा नियंत्रक द्वारा समेकित किए जा रहे हैं। गैर सिविल मंत्रालयों के विनियोग लेखे सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों द्वारा तैयार किए जा रहे हैं।

वर्ष 2009-10 के दौरान संघ सरकार के वित्त लेखे महालेखा नियंत्रक द्वारा तैयार किए गए। विनियोग लेखे सिविल मंत्रालयों के लिए तैयार किए जाते हैं जिनमें 5 विनियोग और 93 अनुदान शामिल हैं।

लेखे एक नज़र में वर्ष 2009-10 के वित्त लेखे और विनियोग लेखे (सिविल) जिनमें सरकार के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण समाविष्ट होते हैं, में दिए गए ब्योरेवार वित्तीय निष्पादन का सार उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है।

विहंगावलोकन

प्राप्ति, व्यय और घाटा*

वर्ष 2009-2010 के दौरान, कुल प्राप्तियां जिनमें उधार की राशियां शामिल हैं ₹1,024,488 करोड़ थीं। सकल कर प्राप्तियां ₹ 621,368 करोड़ थीं जिनमें से ₹ 164,832 करोड़ (26.5%) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनके कर के भाग के रूप में अंतरित कर दिए गए थे। केन्द्र द्वारा रखा गया निवल कर राजस्व ₹ 456,536 करोड़ था। सरकार की कुल ऋणेतर प्राप्तियां (निवल अंतरण) ₹ 606,005 करोड़ थीं।

भारत की समेकित निधि से कुल सरकारी व्यय ₹ 1,024,488 करोड़ था। इसमें से, राजस्व व्यय ₹ 911,810 करोड़ (89%) और पूंजीगत व्यय ₹ 112,678 करोड़ (11%) था। कुल व्यय में योजना व्यय का भाग 30% (₹ 303,393 करोड़) था, शेष 70% (₹ 721,095 करोड़) योजनेतर व्यय था।

वित्तीय विशेषताएं 2009-2010
(₹ करोड़)

	विवरण	संशोधित अनुमान 2009-2010	वास्तविक 2009-2010	वास्तविक 2008-2009	वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि
1.	**राजस्व प्राप्तियां**	**577,294**	**572,811**	**540,259**	**6%**
2.	कर राजस्व(केन्द्र को निवल)	465,103	456,536	443,319	3%
3.	करेतर राजस्व	112,191	116,275	96,940	20%
4.	**पूंजीगत प्राप्तियां**	**30,212**	**33,194**	**6,705**	**395%**
5.	कर्जों की वसूलियां	4,254	8,612	6,139	40%
6.	अन्य प्राप्तियां	25,958	24,582	566	4243%
7.	**कुल प्राप्तियां (1+4)**	**607,506**	**606,005**	**546,964**	**11%**
8.	**योजनेतर व्यय**	**706,371**	**721,095**	**608,721**	**18%**
9.	राजस्व लेखे पर	641,944	657,923	559,024	18%
10.	ब्याज अदायगियां	219,500	213,093	192,204	11%
11.	पूंजीगत लेखे पर	64,427	63,172	49,697	27%
12.	**योजना व्यय**	**315,176**	**303,393**	**275,235**	**10%**
13.	राजस्व लेखे पर	264,411	253,887	234,774	8%
14.	पूंजीगत लेखे पर	50,765	49,506	40,461	22%
15.	**कुल व्यय (8+12)**	**1,021,547**	**1,024,488**	**883,956**	**16%**
16.	राजस्व व्यय (9+13)	906,355	911,810	793,798	15%
17.	पूंजीगत व्यय (11+14)	115,192	112,678	90,158	25%
18.	राजस्व घाटा (16-1)	329,061	338,999	253,539	34%
19.	**राजकोषीय घाटा [15-7]**	**414,041**	**418,483**	**336,992**	**24%**
20.	प्राथमिक घाटा (19-10)	194,541	205,390	144,788	42%

*इस दस्तावेज में दर्शाए गए प्राप्तियों और व्ययों के आंकड़े ('वित्तीय विवरण' और 'ऋण और अन्य देयताएं' अध्यायों में दिए गए आंकड़ों को छोड़कर) बजट दस्तावेजों के अनुसार निवलित किए गए हैं।

पिछले दशक के दौरान, सरकार का सकल कर राजस्व ₹ 188,603 करोड़ [2000-01] से लगभग सवा तीन गुना बढ़कर ₹ 621,368 करोड़ [2009-10] हो गया है। सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में, वर्ष 2009-10 के दौरान सकल कर राजस्व सकल घरेलू उत्पाद का 10.08% था। करेतर राजस्व जोकि वर्ष 2001-02 में सकल घरेलू उत्पाद के 3% के उच्च स्तर पर था उसमें गिरावट आकर वर्ष 2009-10 में 1.89% हो गया है।

भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियां

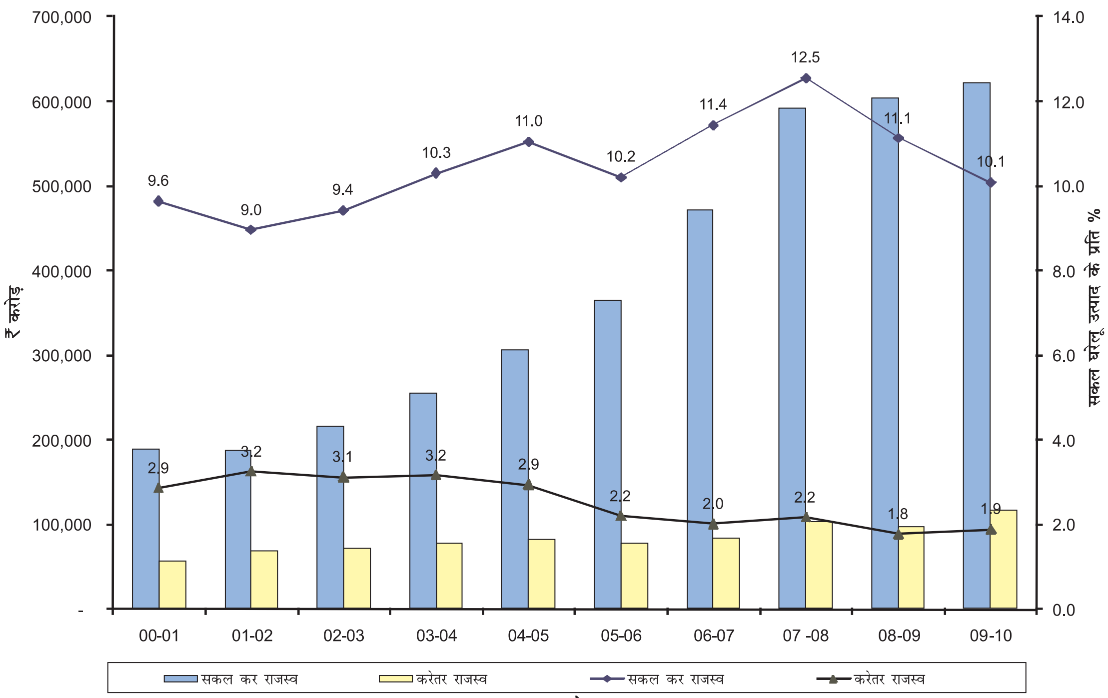

राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की अपेक्षा वृद्धि हुई है। वर्ष 2009-10 में, यह सकल घरेलू उत्पाद का 14.79% था जो कि पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा अधिक था। पूंजीगत व्यय वर्ष 2009-10 में सकल घरेलू उत्पाद का 1.83% था।

भारत सरकार का व्यय

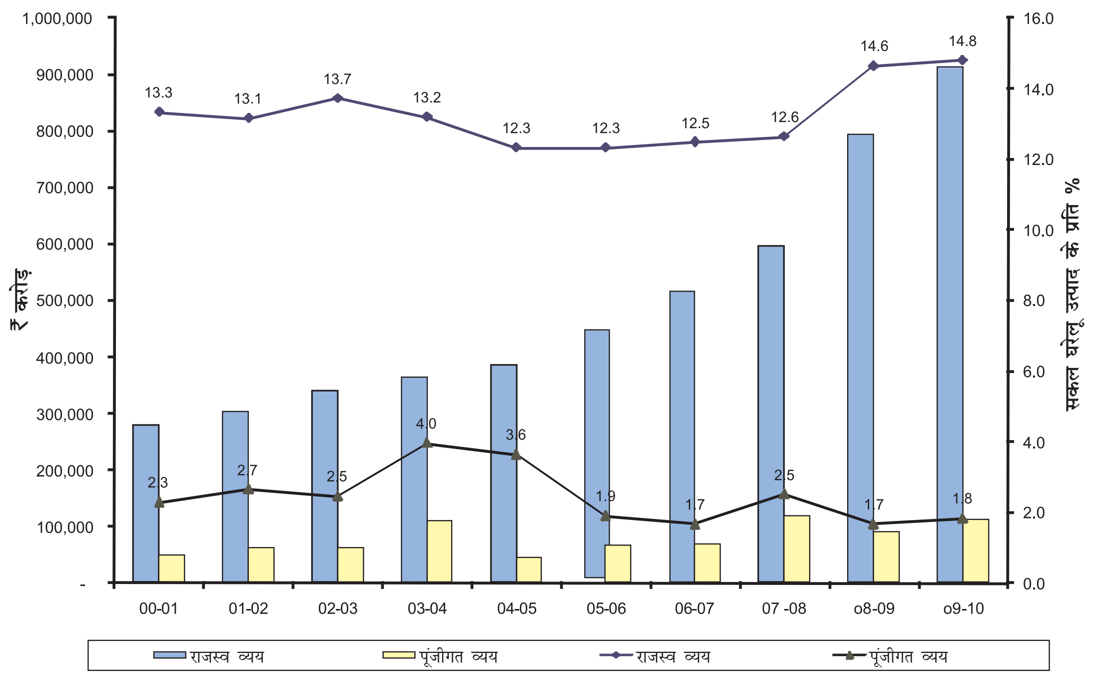

केन्द्र की निवल प्राप्तियां कुल व्यय के केवल 59% को पूरा करने के लिए पर्याप्त थीं और इस प्रकार इसमें ₹ 418,483 करोड़ का घाटा रहा। वर्ष का राजस्व घाटा ₹ 338,999 करोड़ था। सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में, राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.79% और राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.50% था।

भारत सरकार का घाटा

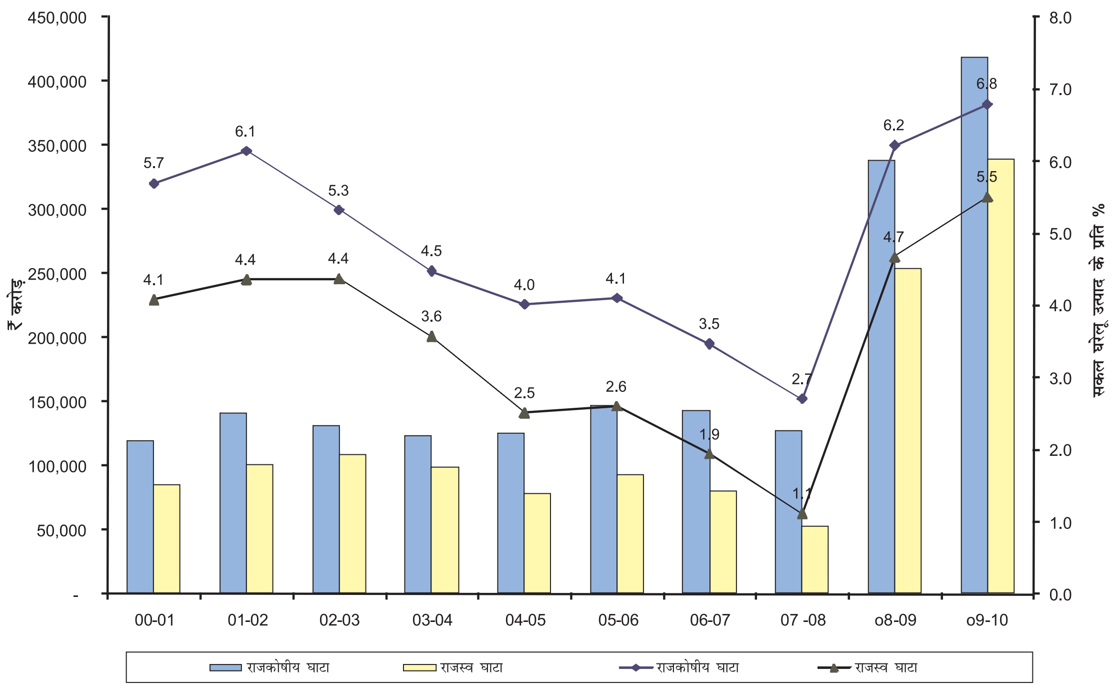

घाटे के वित्तपोषण के स्रोत

₹ 418,483 करोड़ के घाटे को मुख्य रूप से ₹ 304,844 करोड़ के आंतरिक ऋण और ₹ 11,037 करोड़ के बाह्य ऋण से वित्तपोषित किया गया। वर्ष के दौरान रोकड़ शेष में ₹ 84,640 करोड़ की गिरावट आई।

घाटे का वित्तपोषण (₹				
आंतरिक ऋण	304,844	70%	218,746	65%
बाजार कर्ज	408,424	98%	233,630	69%
खजाना बिल	(-)9,769	(-)2%	99,597	30%
प्रतिपूर्ति और अन्य बांड	(-)8,775	(-)2%	(-)23,819	(-)7%
अन्य	(-)85,036	(-)23%	(-)90,662	(-)27%
परिक्रामी निधि सहित बाह्य ऋण	11,037	3%	11,015	3%
रोकड़ आहरण द्वारा कमी	84,640	20%	134,377	40%
लोक लेखा	17,962	7%	(-)27,146	(-)8%
	418,483	**100%**	**336,992**	**100%**

ऋण और अन्य देयताएं

वर्ष के दौरान, सरकार ने ₹ 3,405,327 करोड़ के नए ऋण का अनुबंध किया और पुराने ऋण के ₹ 3,085,792 करोड़ चुकाए। निवल परिणाम यह हुआ कि लोक ऋण में ₹ 319,535 करोड़ की वृद्धि हो गई। 31.3.2010 की स्थिति के अनुसार बकाया कुल ऋण ₹ 2,462,422 करोड़ था। वर्ष 2009-10 के अंत में ब्याज वाला कुल दायित्व ₹ 2,999,123 करोड़ था और कुल देयताएं ₹ 3,045,701 करोड़ थीं।

ऋण और अन्य देयताओं में परिवर्तन
(₹ करोड़)

विवरण	01-अप्रैल-09	वृद्धियां	उन्मोचन	31-मार्च-10	वृद्धि/कमी
ऋण*	2,142,887	3,405,327	3,085,792	2,462,422	319,535
अल्प बचतें, भविष्य निधि आदि**	427,553	378,377	342,104	463,826	36,273
ब्याज वाली अन्य देयताएं	78,384	42,639	48,148	72,875	(-)5,509
बिना ब्याज वाली अन्य देयताएं	50,298	160,979	164,699	46,578	(-)3,720
कुल ऋण और अन्य देयताएं	**2,699,122**	**3,987,322**	**3,640,743**	**3,045,701**	**346,579**

पिछले दस वर्षों में, लोक ऋण [वर्तमान मूल्य पर] जोकि वर्ष 2000-01 में ₹ 993,715 करोड़ था वह वर्ष 2009-10 में ढाई गुना होकर ₹ 2,577,645 करोड़ हो गया। सकल घरेलू उत्पाद के रूप में, लोक ऋण [वर्तमान मूल्य पर] जोकि वर्ष 2000-01 में सकल घरेलू उत्पाद का 47.6% था वह घटकर वर्ष 2009-10 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद का 41.82% हो गया। वर्ष 2009-10 के अंत में, आंतरिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 37.77% और बाह्य ऋण [वर्तमान मूल्य पर] सकल घरेलू उत्पाद का 4.04% था।

भारत सरकार का ऋण

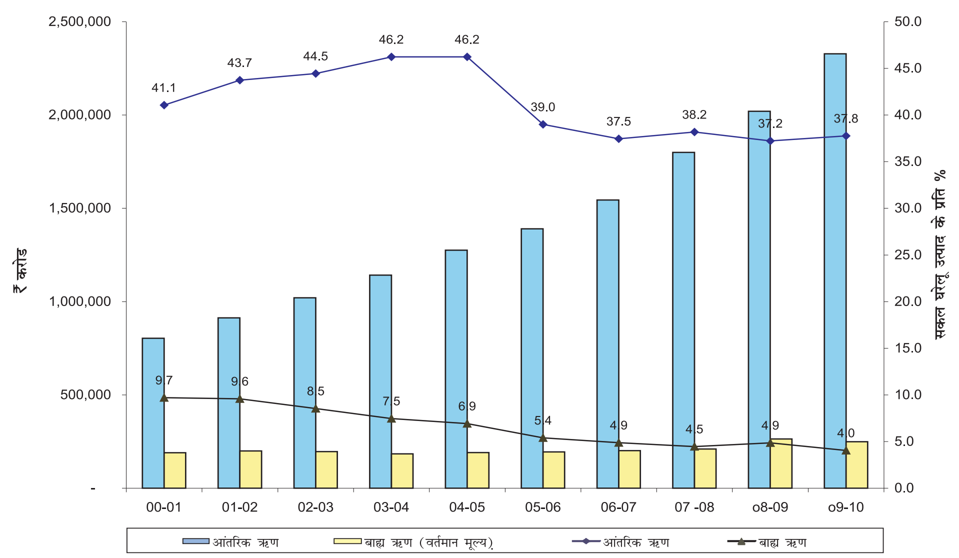

*बाह्य ऋण (₹ 134,083 करोड़) ऐतिहासिक मूल्य पर लिया गया है। यदि यह वर्तमान मूल्य (₹ 249,306 करोड़) पर लिया जाता तो 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार लोक ऋण की राशि ₹ 2,577,645 करोड़ होती।

**31-3-2010 की स्थिति के अनुसार अल्प बचतों, भविष्य निधि आदि से संबंधित केंद्र सरकार की कुल देयता ₹ 948,088 करोड़ है। इसमें से, ₹ 482,762 करोड़ का निवेश राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में और ₹ 1,500 करोड़ का निवेश आईआईएफसीएल में किया गया है और इस प्रकार इस लेखे में ₹ 463,826 करोड़ की निवल बकाया देयता रह गई है।

निधियों के स्त्रोत और अनुप्रयोग

वर्ष 2009-10 के दौरान, सरकार ने ₹ 606,005 करोड़ (राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अंतरण का निवल) का राजस्व एकत्रित किया और ₹ 3,401,673 करोड़ का ऋण लिया। भारत की समेकित निधि में प्राप्त की गई कुल निधियां, इस प्रकार, ₹ 4,007,678 करोड़ थीं। इसमें से, ₹ 3,085,792 करोड़ पिछले ऋण की पुनर्अदायगी करने के लिए उपयोग में लाए गए और ₹ 1,024,488 करोड़ सरकार के चालू कार्यकलापों पर व्यय किए गए। इसके परिणामस्वरूप, भारत की समेकित निधि में ₹ 102,602 करोड़ की कमी आई जिसने सरकार के रोकड़ शेष में ₹ 84,640 करोड़ की कमी कर दी।

निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग
(₹

स्रोत			अनुप्रयोग		
	2009-10	2008-09		2009-10	2008-09
राजस्व	**606,005**	**546,964**	**व्यय**	**1,024,488**	**883,956**
कर	456,536	443,319	योजना	303,393	275,235
करेतर	116,275	96,940	योजनेतर	721,095	608,721
ऋणेतर पूंजी	33,194	6,705	*ब्याज अदायगी*	*213,093*	*192,204*
अन्य स्रोत	**3,504,275**	**2,501,553**	**अन्य अनुप्रयोग**	**3,085,792**	**2,164,561**
नया ऋण	3,401,673	2,394,322	ऋण की पुनर्अदायगी	3,085,792	2,164,561
आंतरिक	*3,379,496*	*2,373,300*	*आंतरिक*	*3,074,652*	*2,154,554*
बाह्य	*22,177*	*21,022*	*बाह्य*	*11,140*	*10,007*
रोकड़ आहरण द्वारा कमी	84,640	134,377			
लोक लेखा	17,962	(-)27,146			
जोड़	**4,110,280**	**3,048,517**	**जोड़**	**4,110,280**	**3,048,517**

पिछले वर्ष की तुलना में, सरकार की प्राप्तियों में 36% की वृद्धि हुई। कर प्राप्तियों में 3% की वृद्धि हुई जबकि करेतर प्राप्तियों में 20% की वृद्धि हुई। सरकारी व्यय में 16% की वृद्धि हुई। पूंजीगत व्यय में पिछले वर्ष की अपेक्षा 25% की वृद्धि हुई जबकि राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की अपेक्षा केवल 15% की वृद्धि हुई । योजना व्यय में 10% की वृद्धि हुई और योजनेतर व्यय में 18% की वृद्धि हुई।

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

आंकड़े प्रदाता संगठन

इस पुस्तिका में जो वित्तीय विवरण और लेखे प्रस्तुत किए गए हैं वे भारत सरकार और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन एवं दीव और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित हैं। अन्य सरकारी संगठनों जैसे राज्य सरकारों, अन्य संघ राज्य क्षेत्रों, सरकारी स्वामित्व वाले व्यावसायिक उद्यमों, स्वायत्त निकायों आदि के लेखों को शामिल नहीं किया गया है।

लेखे अनुच्छेद 151(1) के अधीन सांविधानिक प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

लेखों का स्वरूप और विषय-वस्तु

संविधान के अनुच्छेद 150 में "नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के परामर्श पर राष्ट्रपति जिस रूप में निर्धारित करें" सरकार के लेखों का रख-रखाव करने का प्रावधान किया गया है। लेखों के स्वरूप और अंशों के निर्धारण संबंधी कार्यकारी शक्तियां कार्य का आवंटन नियमावली के अधीन महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय को प्रत्यायोजित की गई हैं। इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी लेखाकरण नियमावली, 1990 तैयार की गई है जिसमें सरकारी लेखाकरण के सामान्य सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं।

सरकारी वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन किस प्रकार किया जाना है उसका निर्धारण भी संविधान में किया गया है। अनुच्छेद 266 के प्रावधानों के अनुसार, सभी सरकारी राजस्वों जिनमें सरकार द्वारा लिए गए कर्ज और उधार दी गई राशियों से होने वाली आय शामिल है, को भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है और सरकार द्वारा प्राप्त की गई अन्य सभी धनराशियां लोक लेखे में जमा कर दी जाती हैं। सभी सरकारी व्यय भारत की समेकित निधि से पूरा किया जाता है।

अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए जिसे संसद से प्राधिकृत करना लंबित रखा जाता है, सरकार के पास अग्रदाय के रूप में एक आकस्मिकता निधि रखी जाती है जिसमें 500 करोड़ रुपए की राशि जमा रहती है।

भारत की समेकित निधि में से धनराशियों का विनियोग अनुच्छेद 112 से 117 में समाविष्ट सांविधानिक प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

लेखाकरण का रोकड़ आधार

सरकार के लेखे रोकड़ आधार पर रखे जाते हैं। राजस्वों और व्ययों को उस अवधि में मान्यता प्रदान की जाती है जिसमें वे वसूल अथवा अदा किए जाते हैं। इस अवधि के दौरान सरकार को देय या सरकार द्वारा देय राशियों को मान्यता प्रदान नहीं की जाती।

सरकारी लेखों में मुख्य रूप से निम्नलिखित को दर्ज किया जाता है:

(क) सरकारी रोकड़ शेष में और उसमें से होने वाले नकदी प्रवाह का रख-रखाव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है,

(ख) सरकारी देयताओं (लोक ऋण और लोक लेखे पर लेन देन) और वित्तीय परिसम्पत्तियों (कर्ज और अग्रिम) का भंडार, और

(ग) कुछ नकदीतर लेनदेन (समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे के बीच अंत: निधि अंतरण, वस्तु के रूप में बाह्य सहायता, हानियों को बट्टे खाते डालना और पिछले कर्जों को अनुदान आदि में परिवर्तित करना)।

वित्तीय विवरण और लेखे पारंपरिक लागत की परंपरा के अनुसार रखे जाते हैं। बाह्य ऋण को ऋण का करार करने के समय लागू विनिमय दर पर दर्शाया गया है। इसी प्रकार से, सरकारी वित्तीय निवेशों (इक्विटी और कर्जो) को उनके ऐतिहासिक मूल्यों पर दर्शाया जाता है। ऐसी परिसम्पत्तियों के मूल्य की हानि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाता ।

लेखाकरण का आधार रोकड़ होता है, अत: भौतिक परिसम्पत्तियों को मूल्यह्रासित अथवा परिशोधित नहीं किया जाता । भौतिक परिसम्पत्तियों की समय सीमा का अंत होने पर उनकी हानियों अथवा बट्टे खाते डाले जाने को भी मान्य अथवा व्ययित नहीं किया जाता।

यहां प्रस्तुत किए गए वित्तीय विवरणों में उन सरकारी कर्मचारियों के अधिवर्षिता लाभों से संबंधित सरकार की देयता शामिल नहीं है जो पेंशन की परिभाषित लाभ स्कीम के अंतर्गत आते हैं और उन्हें 'आपके जाने पर अदायगी' आधार पर अदायगी की जाती है।

लेखाकरण अवधि

लेखों के लिए अप्रैल से मार्च का वार्षिक बजटीय चक्र अपनाया जाता है।

मुद्रा

लेखे भारतीय रुपए में रखे जाते हैं। विदेशी मुद्रा लेन देनों (प्राप्तियां और अदायगियां दोनों) को भी लागू परिवर्तन दरों पर भारतीय रुपयों में दर्ज किया जाता है।

राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां/व्यय

राजस्व प्राप्तियों में, परिसम्पत्तियों की बिक्री से होने वाली प्राप्तियों को छोड़कर सभी कर और करेतर प्राप्तियों को शामिल किया जाता है।

राजस्व व्यय आवर्ती स्वरूप के व्यय होते हैं और उन्हें राजस्व प्राप्तियों से पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। राज्य सरकारों और अन्य संगठनों को अंतरण अदायगियां,

जिनमें प्राप्तकर्ता द्वारा परिसम्पत्ति सृजन के लिए निर्धारित अंतरण अदायगियां भी शामिल हैं, को भी राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है।

पूंजीगत प्राप्तियों में मुख्य रूप से सरकारी परिसम्पत्तियों की बिक्री से हुई आय शामिल होती है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी के विनिवेश से हुई आय भी शामिल है।

पूंजीगत व्यय वे होते हैं जो सामग्री और स्थायी स्वरूप की ठोस परिसम्पत्तियों को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। इनमें अचल परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण, मशीनरी और उपस्कर तथा सरकारी इक्विटी निवेशों पर किया गया व्यय शामिल होता है। सरकार के ऋण प्रचालन को भी पूंजीगत व्यय के रूप में माना जाता है।

विनिमय दर में घट-बढ़

विदेशी कर्जों को पारंपरिक विनिमय दर अर्थात ऋण के करार के समय प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है। इस प्रकार के कर्जों की पुनर्अदायगियों को भी पुनर्अदायगी के समय प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। विनिमय दर में घट-बढ़ के कारण बाह्य कर्जों पर हानि/लाभ को कर्ज की पूर्ण अदायगी के पश्चात "8680 - विविध सरकारी लेखे" को व्ययित किया जाता है।

बाह्य सहायता

सहायता सामग्री, उपस्कर या अन्य आपूर्तियों के रूप में बाह्य सहायता को भी इस प्रकार की सहायता के मूल्य पर पहचान की जाती है और प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है। सरकारी विभागों द्वारा उपयोग के लिए ऐसी सामग्री के आवंटन अथवा अन्य संगठनों को सहायता अनुदान के रूप में संवितरण को राजस्व व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और इसकी कुल प्राप्तियों (उधार को छोड़कर) का अंतर है। राजकोषीय घाटे के तत्व हैं (क) राजस्व घाटा, जो कि सरकार के वर्तमान (या राजस्व) व्यय एवं कुल वर्तमान प्राप्तियों (अर्थात उधार को छोड़कर) और (ख) पूंजीगत व्यय का अंतर है। राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण भारतीय रिजर्व बैंक से उधार (जिसे घाटे की वित्त व्यवस्था अथवा धन जुटाना भी कहा जाता है) और बाजार उधार (मुद्रा बाज़ार अर्थात मुख्यतः बैंको से) द्वारा किया जा सकता है।

प्रारंभिक घाटा

राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी घटाने पर प्रारंभिक घाटा प्राप्त होता है। इसकी व्याख्या सरकार के ब्याजेतर व्यय की प्राप्तियों से अधिकता के रूप में की जा सकती है।

योजना एवं योजनेतर व्यय

योजनेतर व्यय एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग अनिवार्य स्वरूप के सरकार के सभी व्यय अर्थात ब्याज अदायगियां, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को पेंशन प्रभार और सांविधिक अंतरण को शामिल करने के लिए किया जाता है। व्यय का एक भाग राज्य के अनिवार्य कार्यों अर्थात रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, विदेशी मामलों और राजस्व संग्रहण से संबंधित होता है। अन्य सभी व्यय योजना व्यय होता है। यह राजस्व व्यय या पूंजीगत व्यय हो सकता है।

अर्थोपाय अग्रिम

भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम उपलब्ध करवाता है ताकि वे अपनी प्राप्तियों एवं अदायगियों के नकदी प्रवाह में अस्थायी बेमेल होने की स्थिति को समाप्त कर सकें। ऐसे अग्रिम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत 'प्रत्येक मामले में उस अग्रिम को देने की तारीख से 3 माह तक प्रतिदेय' होते हैं । दो प्रकार के अर्थोपाय अग्रिम होते हैं - सामान्य और विशेष।

संशोधित अनुमान/बजट अनुमान/वास्तविक

बजट अनुमान उस वर्ष के 01 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष को सरकार का व्यय एवं प्राप्ति प्रावधान होता है जिसे सामान्यत: वित्तीय वर्ष शुरू होने से ठीक पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है। किसी वर्ष के बजट दस्तावेज में पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान भी दर्शाए जाते हैं जो कि सरकार का कमोबेश वास्तविक अनुमानित व्यय होता है। तथापि, वास्तविक व्यय या वास्तविक का संकलन वर्ष के दौरान किए गए सरकार के यथार्थ व्यय को लेखे में लेने के बाद किया जाता है और इसे वित्त लेखे एवं विनियोग लेखों में दर्शाया जाता है।

उधार

सरकार, सरकार के घाटे को वित्तपोषित करने के लिए आंतरिक और बाह्य स्रोतों से उधार लेती है जिसे लोक ऋण कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सरकारी घाटे के वित्तपोषण का एक स्रोत लोक लेखा भी होता है। आंतरिक उधार में मुख्य रूप से बाजार कर्जे शामिल होते हैं।

लेखों की संरचना

सरकारी लेखे निम्नलिखित तीन भागों में रखे जाते हैं:-

I. भारत की समेकित निधि

सरकार द्वारा आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, भू-राजस्व (कर राजस्व) जैसे कराधान से प्राप्त होने वाले समस्त राजस्व और रेलवे, डाक, परिवहन आदि से प्राप्ति (करेतर राजस्व) जैसे सरकारी कार्यों से सरकार को होने वाली अन्य प्राप्तियों को समेकित निधि में जमा कर दिया जाता है। इसी प्रकार से, सरकार द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा जारी करके प्राप्त किए गए सभी कर्जों, खजाना बिलों (आंतरिक ऋण) और विदेशी सरकारों व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संस्थाओं से प्राप्त कर्जों (बाह्य ऋण) तथा सरकार को कर्जों की पुनर्अदायगी और उस पर ब्याज के रूप में प्राप्त सभी प्रकार की धनराशियों को भी इस निधि में जमा कर दिया जाता है। आंतरिक और बाह्य ऋण की पुनर्अदायगी और विभिन्न प्रयोजनों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को कर्ज जारी किए जाने सहित अपना कार्य करने के लिए सरकार द्वारा किए गए समस्त व्यय को इस निधि के नामे डाला जाता है।

भारत की समेकित निधि संबंधी लेन देनों को 6-स्तरीय उत्क्रम ढांचे वाले कार्यों एवं कार्यक्रमों [जोकि अधिकांशत: विकास के योजना शीर्ष के अनुरूप होते हैं और ऐसा न होने पर सांविधानिक और अन्य आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं] में विभाजित कार्यात्मक वर्गीकरण का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:

- मुख्य शीर्ष - सरकार के मुख्य कार्य का द्योतक है।
- उप-मुख्य शीर्ष - सरकार के उप-कार्य का द्योतक है।
- लघु शीर्ष - सरकार के कार्यक्रम का द्योतक है।
- उप शीर्ष - स्कीम का द्योतक है।
- ब्योरेवार शीर्ष - उप स्कीम का द्योतक है, और
- वस्तुगत शीर्ष - व्यय के उद्देश्य के लिए [जैसे वेतन, कार्यालय व्यय]

व्यय लेन देनों को 'योजना' या 'योजनेतर' व्यय और 'स्वीकृत' या 'प्रभारित' व्यय में भी वर्गीकृत किया जाता है।

II. भारत की आकस्मिकता निधि

यह निधि अग्रदाय स्वरूप की होती है और उसे भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में रखा जाता है ताकि सरकार अप्रत्याशित व्यय को संसद से उसे प्राधिकृत कराए जाने तक लंबित रखकर पूरा कर सके। इस धनराशि का उपयोग प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोगों को तत्काल राहत प्रदान किए जाने और साथ ही सरकार द्वारा किसी नई नीति

को लागू करने के निर्णय को संसद से इसका अनुमोदन लंबित रखते हुए कार्यान्वित करने के लिए भी किया जाता है। ऐसे सभी मामलों में, संसद का अगला सत्र बुलाए जाने पर चालू वित्त वर्ष के दौरान स्कीम/परियोजना पर किए जाने वाले कुल व्यय को दर्शाते हुए एक विध ेयक प्रस्तुत किया जाता है। संसद द्वारा विधेयक को स्वीकृति प्रदान किए जाने के पश्चात, आकस्मिकता निधि में से पहले ही खर्च की जा चुकी धनराशि की संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष आदि में व्यय नामे डालकर भारत की समेकित निधि में प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।

III. भारत का लोक लेखा

सरकार द्वारा प्राप्त की जाने वाली समस्त सार्वजनिक धनराशि, उन धनराशियों से भिन्न जो भारत की समेकित निधि में जमा की जानी होती हैं, लोक लेखे के अंतर्गत लेखाबद्ध की जाती है। लोक लेखे में जमा की जाने वाली प्राप्तियों और इसमें से किए जाने वाले संवितरणों को संसद से स्वीकृत नहीं कराया जाता। इस लेखे के अंतर्गत प्राप्तियां मुख्य रूप से बचत प्रमाण-पत्रों की बिक्री, सामान्य भविष्य निधि और लोक भविष्य निधि में अंशदानों, सरकार द्वारा प्राप्त की जाने वाली प्रतिभूति जमाओं और बयाना जमाओं से आती हैं। इन प्राप्तियों के संबंध में, सरकार बैंकर या न्यासी की भूमिका निभाती है और संविदा/कार्य पूरा होने के बाद धनराशि वापस करती है। लोक लेखे में विभिन्न उचंत और प्रेषण शीर्ष भी शामिल होते हैं।

लोक लेखे संबंधी लेन देनों को प्राप्तियों और संवितरणों के रूप में दर्ज किया जाता है और उन्हें निम्नलिखित व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- ❖ अल्प बचत
- ❖ आरक्षित निधियां
- ❖ जमा और अग्रिम
- ❖ उचंत और विविध
- ❖ प्रेषण
- ❖ रोकड़ शेष

वित्तीय विवरण

वित्तीय स्थिति का विवरण (₹ करोड़)		
	31 मार्च, 2010	31 मार्च, 2009
देयताएं	**3,037,232**	**2,998,030**
क. लोक ऋण	2,462,422	2,142,887
1. आंतरिक ऋण	2,328,339	2,019,841
2. बाह्य ऋण	134,083	123,046
ख. आकस्मिकता निधि	500	500
ग. लोक लेखे पर देयताएं		
(निवेशों/अग्रिमों का निवल)	574,310	854,643
1. आरक्षित निधियां	20,670	342,472
2. जमा और अग्रिम	89,815	84,618
3. अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि	463,825	427,553
परिसम्पत्तियां	**3,037,232**	**2,998,030**
क. रोकड़ और रोकड़ समकक्ष	28,797	111,475
1. रोकड़ शेष	10,616	95,256
2. अल्पावधि रोकड़ निवेश	18,181	16,219
ख. अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	467,769	764,318
1. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी निवेश	286,920	264,909
2. कर्ज तथा अग्रिम	219,666	219,979
क. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	144,047	144,805
ख. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	75,619	75,174
3. उचंत और विविध	(-)38,817	279,430
ग. संचित घाटा*	2,540,666	2,122,237

*पिछले वर्षों के संचित घाटे और अधिशेष को दर्शाता है।

प्रचालन विवरण (₹ करोड़)		
	2009-10	2008-09
प्राप्तियां		
राजस्व लेखा	**704,523**	**653,847**
कर राजस्व	459,696	445,119
करेतर राजस्व	241,686	205,934
सहायता अनुदान	3,141	2,794
अन्य प्राप्तियां	**24,581**	**566**
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश	2,233	22
अन्य	22,348	544
कुल प्राप्तियां	**729,104**	**654,413**
व्यय		
राजस्व लेखा	**1,057,479**	**1,010,225**
सामान्य सेवाएं	429,839	359,333
सामाजिक सेवाएं	100,324	86,894
आर्थिक सेवाएं	384,381	438,169
सहायता अनुदान	142,935	125,829
पूंजीगत लेखा	**86,316**	**61,427**
सामान्य सेवाएं	58,315	45,753
सामाजिक सेवाएं	3,570	3,593
आर्थिक सेवाएं	24,431	12,081
विविध	**44**	**1,214**
कुल व्यय	**1,143,839**	**1,072,866**
पूर्व अवधि समायोजन	3,694	579
घाटा*	**418,429**	**419,032**

* घाटे को वित्तीय स्थिति के विवरण में अग्रेनीत करके संचित घाटे के रूप में दर्शाया गया है।

प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण
(₹ करोड़)

	2009-10	2008-09
प्राप्तियां	**4,807,565**	**3,648,164**
भारत की समेकित निधि	**4,147,164**	**3,063,687**
कर राजस्व	459,696	445,119
करेतर राजस्व	241,686	205,934
सहायता अनुदान और अंशदान	3,141	2,794
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	24,581	566
लोक ऋण	3 ,405,327	2,395,765
कर्ज तथा अग्रिम	12,733	13,509
भारत की आकस्मिकता निधि	0	0
लोक लेखा	**660,401**	**584,477**
अल्प बचतें, भविष्य निधि	378,377	357,342
आरक्षित निधियां	101,421	100,966
जमा तथा अग्रिम	167,052	116,065
उचंत और विविध	9,247	8,654
प्रेषण	4,304	1,450
संवितरण	**4,892,205**	**3,782,541**
भारत की समेकित निधि	**4,260,072**	**3,266,926**
सामान्य सेवाएं	429,839	359,333
सामाजिक सेवाएं	100,324	86,894
आर्थिक सेवाएं	384,381	438,169
सहायता अनुदान और अंशदान	142,935	125,829
पूंजीगत परिव्यय	100,686	77,556
ऋण की पुनर्अदायगी	3,085,792	2,164,560
कर्ज तथा अग्रिम	16,115	14,585
भारत की आकस्मिकता निधि को अंतरण	0	0
लोक लेखा	**632,133**	**515,615**
अल्प बचतें, भविष्य निधि	342,105	269,605
आरक्षित निधियां	114,998	121,564
जमा तथा अग्रिम	161,855	108,922
उचंत और विविध	12,022	11,240
प्रेषण	1,153	4,284
संवितरणों पर प्राप्तियां	**(-)84,640**	**(-)134,377**
प्रारंभिक रोकड़ शेष	95,256	229,633
अंत रोकड़ शेष	**10,616**	**95,256**

प्राप्तियां

सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों और ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व प्राप्तियों में, कर राजस्व और करेतर राजस्व शामिल होते हैं। वर्ष 2009-10 के दौरान, कर राजस्व कुल सरकारी ऋणेतर प्राप्तियों का लगभग 75% था। शेष राजस्व करेतर राजस्वों (19%) और ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियों (6%) से प्राप्त हुआ। निगम कर, आय कर और संघ उत्पाद शुल्क सरकार के सबसे बड़े राजस्व स्रोत बने रहे जिनका कुल सरकारी ऋणेतर प्राप्तियों में लगभग दो तिहाई अंशदान रहा। ऋणेतर सरकारी प्राप्तियों के मुख्य अंशदाता निगम कर (29%), केंद्रीय उत्पाद शुल्क (14%), सीमा शुल्क (10%), आयकर (14%), ब्याज (4%) और लाभांश (8%) हैं।

भारत की समेकित निधि में प्राप्तियां (2009-10)

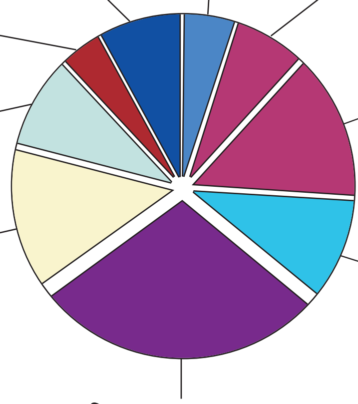

वर्ष 2009-2010 के लिए भारत सरकार की कुल प्राप्तियां [राज्यों को हस्तांतरित करों का निवल] ₹ 606,005 करोड़ थीं - इसमें पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 59,041 करोड़ [11%] की वृद्धि हुई। 3% की मामूली वृद्धि के साथ कर राजस्व ₹ 443,319 करोड़ से बढ़कर ₹ 456,536 करोड़ हो गया जबकि करेतर राजस्व 20% वृद्धि के साथ ₹ 96,940 करोड़ से बढ़कर ₹ 116,275 करोड़ हो गया। वर्ष 2009-10 के दौरान सरकार की अन्य प्राप्तियों में मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश पर प्रीमियम के कारण प्राप्त किए गए ₹ 21,366 करोड़ शामिल हैं।

ऋणेतर प्राप्तियां (₹ करोड़)

विवरण	2009-10	2008-09	वृद्धि
कर राजस्व	456,536	443,319	3 %
करेतर राजस्व	116,275	96,940	20%
अन्य प्राप्तियां	33,194	6,705	395%
कुल ऋणेतर प्राप्तियां	**606,005**	**546,964**	**11%**

कर राजस्व

कर राजस्व संग्रहण (केंद्र को निवल) 2008-09 के ₹ 443,319 करोड़ से बढ़कर 2009-10 में ₹ 456,536 करोड़ हो गया - इसमें ₹ 13,217 करोड़ [3%] की वृद्धि हुई। मुख्य वृद्धियां प्रतिभूति लेन देन (37%), धन कर (29%), निगम कर (15%), आय कर (15%) में देखी गईं जबकि कमी अनुषंगी हितलाभ कर (70%) और बैंकिंग रोकड़ लेनदेन (58%) में देखी गई।

कर राजस्व

(₹

विवरण	2009-10			2008-09			सकल कर में वर्ष प्रति वर्ष वृद्धि
	सकल	राज्यों को हस्तांतरित	निवल	सकल	राज्यों को हस्तांतरित*	निवल	
1. निगम कर	244,725	67,928	176,797	213,395	52,598	160,797	15%
2. आय कर	122,370	37,839	84,531	106,046	33,028	73,018	15%
3. ब्याज कर	4	-	4	9	-	9	(-)56%
4. अनुषंगी लाभ कर	2,360	-	2,360	7,977	-	7,977	(-)70%
5. व्यय कर	(-)62	-	(-)62	17	(-)2	19	(-)465%
6. धन कर	505	154	351	389	50	339	29%
7. प्रतिभूति लेनदेन	7,394	-	7,394	5,405	-	5,405	37%
8. बैंकिंग रोकड़ लेनदेन	247	-	247	585	-	585	(-)58%
9. सीमा शुल्क	83,324	23,101	60,223	99,879	30,662	69,217	[-]17%
10. संघ उत्पाद शुल्क	102,991	18,608	84,383	108,402	26,741	81,661	(-)5%
11. सेवा कर	58,422	17,202	41,220	60,941	17,106	43,835	(-)4%
12. अन्य कर	634	-	634	765	(-)4	769	[-]17%
13. संघ राज्य क्षेत्रों के कर	1,614	-	1,614	1,488	-	1,488	8%
14. एनसीसीएफ को अंतरित अधिभार	(-)3,160	-	(-)3,160	(-)1,800	-	(-)1,800	76%
कुल कर राजस्व	**621,368**	**164,832**	**456,536**	**603,498**	**160,179**	**443,319**	**3 %**

करेतर राजस्व

सरकार का करेतर राजस्व मुख्यत: ब्याज प्राप्तियों, सार्वजनिक उद्यमों से लाभांश एवं लाभ और विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए शुल्क/प्रभार के रूप में प्रोद्भूत होता है। करेतर राजस्व संग्रहण जोकि 2008-09 में ₹ 96,940 करोड़ था वह 2009-10 के दौरान बढ़कर ₹ 116,275 करोड़ हो गया और इस प्रकार इसमें ₹ 19,335 करोड़ [20%] की वृद्धि हुई।

* वर्ष 2008-09 के दौरान राज्यों को ऋणात्मक हस्तांतरण राज्य सरकारों से केंद्र को पुनर्अदायगी में चूक के समायोजन के कारण है।

करेतर राजस्व (₹ करोड़)			
विवरण	**2009-10**	**2008-09**	**वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि (%)**
ब्याज प्राप्तियां	21,784	20,717	5
लाभांश और लाभ	50,250	38,607	30
संघ राज्य क्षेत्रों के करेतर राजस्व	1,218	797	53
अन्य करेतर राजस्व	43,023	36,819	17
कुल करेतर राजस्व	**116,275**	**96,940**	**20**

ब्याज प्राप्तियां (सकल)

ब्याज प्राप्तियां सरकार के करेतर राजस्वों का एक मुख्य स्रोत है। ब्याज मुख्यत: संघ सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को प्रदान किए गए कर्जों से प्राप्त होता है। यह अकेले कुल ब्याज प्राप्तियों का 32% होता है। रेलवे (15%) और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (15%) अन्य महत्वपूर्ण अंशदाता हैं।

वर्ष 2009-10 के दौरान कुल ब्याज प्राप्तियां (सकल) ₹ 35,849 करोड़ थीं जो पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 5,003 करोड़ (16%) अधिक थीं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अन्य स्रोतों और रेलवे से ब्याज प्राप्ति में क्रमश: ₹ 3,068 करोड़, ₹ 1,871 करोड़ तथा ₹ 826 करोड़ की वृद्धि हुई जबकि राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से इसमें ₹ 761 करोड़ की कमी आई।

ब्याज प्राप्तियां (सकल) (₹ करोड़)				
स्रोत	**2009-10**	**2008-09**	**2007-08**	**2006-07**
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	11,443	12,204	14,903	12,712
रेलवे	5,518	4,692	4,877	4,221
विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम	162	163	166	159
सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रम	5,382	2,314	3,541	3,436
अन्य	13,344	11,473	11,125	6,025
कुल	**35,849**	**30,846**	**34,612**	**26,553**

लाभांश

वर्ष 2009-10 के दौरान सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर ₹ 50,250 करोड़ का लाभांश प्राप्त हुआ जो कि पिछले वर्ष की अपेक्षा ₹ 11,643 करोड़ [30%] अधिक है।

लाभांश – मुख्य स्रोत (₹ करोड़)				
मुख्य स्रोत	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07
सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रम	20,198	19,788	20,712	18,874
भारतीय जीवन बीमा निगम	929	829	829	522
राष्ट्रीयकृत बैंक	3,981	2,944	1,458	1,423
भारतीय रिजर्व बैंक	25,009	15,011	11,411	8,404

ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियां

ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियां मुख्यतः सरकार की परिसंपत्तियों की विक्रय आय होती है जिसमें सार्वजनिक उद्यमों में सरकार की शेयर पूंजी का विनिवेश शामिल होता है। वर्ष 2009-10 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के कारण ₹ 2,233 करोड़ और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के प्रीमियम से ₹ 21,366 करोड़ की राशि प्राप्त हुई ।

पूंजीगत प्राप्तियां (₹ करोड़)				
स्रोत	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07
सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों का विनिवेश	2,233	22	4,387	–
सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों के विनिवेश पर प्राप्त प्रीमियम	21,366	–	–	–
अन्य पूंजीगत प्राप्तियां	983	544	34,408	534
कुल	**24,582**	**566**	**38,795**	**534**

व्यय

वर्ष 2009-2010 के दौरान, सरकार का कुल व्यय ₹ 1,024,488 करोड़ था। व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 140,532 करोड़ [16%] की वृद्धि हुई। राजस्व व्यय ₹ 911,810 करोड़ था जिसमें पिछले वर्ष की अपेक्षा ₹ 118,012 करोड़ [15%] की वृद्धि हुई और पूंजीगत व्यय ₹ 112,678 करोड़ था जिसमें पिछले वर्ष की अपेक्षा ₹ 22,520 करोड़ [25%] की वृद्धि हुई। कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय का भाग 11% था।

व्यय
(₹ करोड़)

विवरण	2009-10			2008-09			वर्ष
	योजनागत	योजनेतर	कुल	योजनागत	योजनेतर	कुल	प्रतिवर्ष वृद्धि
राजस्व	**253,887**	**657,923**	**911,810**	**234,774**	**559,024**	**793,798**	**15%**
सामान्य सेवाएं	388	402,979	403,367	184	339,282	339,466	19%
सामाजिक सेवाएं	62,833	34,332	97,165	54,726	30,369	85,095	14%
आर्थिक सेवाएं	95,264	173,079	268,343	93639	149,770	243,409	10%
सहायता अनुदान	95,402	47,533	142,935	86,225	39,603	125,828	14%
पूंजीगत	**49,506**	**63,172**	**112,678**	**40,461**	**49,697**	**90,158**	**25%**
सामान्य सेवाएं	780	57,535	58,315	321	45,366	45,687	28%
सामाजिक सेवाएं	3,333	237	3,570	3,373	20	3,393	5%
आर्थिक सेवाएं	30,890	4,258	35,148	24,363	2,129	26,492	33%
कर्ज एवं अग्रिम	14,503	1,142	15,645	12,404	2,182	14,586	5%
कुल व्यय	**303,393**	**721,095**	**1,024,488**	**275,235**	**608,721**	**883,956**	**16%**

₹ 112,678 करोड़ के कुल पूंजीगत व्यय में से ₹ 97,033 करोड़ (86%) परिसंपत्ति निर्माण पर व्यय किए गए, शेष कर्ज एवं अग्रिम (14%) के रूप में थे।

पूंजीगत व्यय
(₹ करोड़)

	परिसंपत्ति निर्माण		ऋण की पुनर्अदायगी*		कर्ज एवं अग्रिम		कुल
2000-01	24,745	52%			23,009	48%	47,754
2001-02	29,771	49%			31,071	51%	60,842
2002-03	29,101	39%	13,766	18%	31,668	42%	74,535
2003-04	35,678	32%	46,211	42%	28,739	26%	110,628
2004-05	40,549	36%	32,675	29%	40,107	35%	113,331
2005-06	53,869	81%			12,493	19%	66,362
2006-07	58,759	85%			10,019	15%	68,778
2007-08	106,941	90%			11,297	10%	118,238
2008-09	75,572	84%			14,586	16%	90,158
2009-10	97,033	86%			15,645	14%	112,678

*नए ऋण में शामिल न किए गए ऋण की पुनर्अदायगी को दर्शाता है।

क्षेत्रवार आबंटन

समग्र रूप से, सामान्य सेवाओं पर व्यय ₹ 461,682 करोड़ (कुल व्यय का 45%) था। इसमें राज्यों के अंग, राजकोषीय सेवाएं, पेंशनें, रक्षा आदि पर व्यय शामिल है। सामाजिक सेवाओं पर व्यय ₹ 100,735 करोड़ (कुल व्यय का 10%) और आर्थिक सेवाओं पर ₹ 303,491 करोड़ (कुल व्यय का 30%) था। राज्य सरकारों, अन्य सार्वजनिक संस्थाओं और विभिन्न अन्य निकायों को सहायता अनुदान के रूप में ₹ 142,935 करोड़ (कुल व्यय का 14%) जारी किए गए थे। वर्ष के दौरान ₹ 15,645 करोड़ (कुल व्यय का 1%) के कर्ज और अग्रिम प्रदान किए गए।

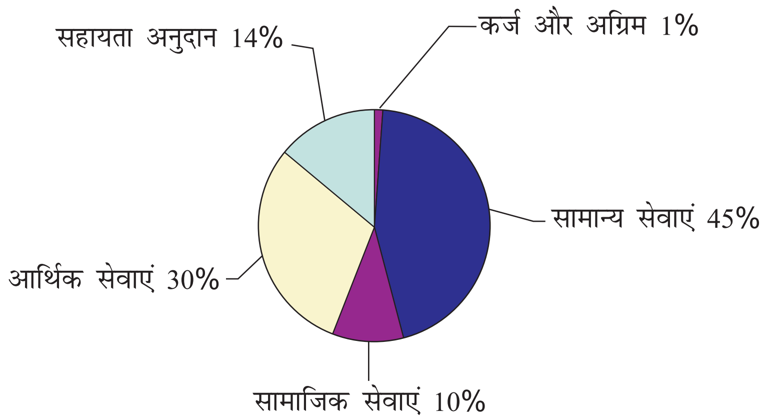

योजना व्यय

2009-10 के दौरान योजना व्यय ₹ 303,393 करोड़ था। पिछले वर्ष के ₹ 275,235 करोड़ की तुलना में, योजना व्यय में 10% की वृद्धि हुई।

योजनेतर व्यय

वर्ष 2009-10 के दौरान योजनेतर व्यय पिछले वर्ष के ₹ 608,721 करोड़ की तुलना में ₹ 721,095 करोड़ था जो 18% अधिक था। अकेले ब्याज अदायगियां (₹ 213,093 करोड़) ही कुल योजनेतर व्यय का 30% लेखाबद्ध की गईं। रक्षा व्यय (₹ 141,781 करोड़) और आर्थिक सहायताएं (₹ 129,722 करोड़) योजनेतर व्यय की अन्य प्रमुख मदें थीं।

योजनेतर व्यय - मुख्य संघटक (₹ करोड़)

विवरण	2009-10		2008-09		वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि
ब्याज	213,093	29%	192,204	31%	11%
आर्थिक सहायताएं	129,722	18%	129,773	21%	0%
रक्षा	141,781	20%	114,223	19%	24%
पेंशनें	56,149	8%	32,941	5%	70%
पुलिस	31,124	4%	20,122	3%	55%
सहायता अनुदान	47,533	7%	39,604	7%	20%
कर्ज	1,142	0%	2,583	1%	(-)56%
अन्य	100,551	14%	77,271	13%	30%
कुल	**721,095**	**100%**	**608,721**	**100%**	**18%**

पिछले वर्ष की तुलना में ब्याज अदायगियों में 11% की वृद्धि हुई जबकि रक्षा और सहायता अनुदान में क्रमश: 24%, और 20% की वृद्धि हुई। पेंशनों (₹ 56,149 करोड़) और पुलिस (₹ 31,124 करोड़) पर व्यय में पिछले वर्ष की अपेक्षा क्रमश: 70% और 55% की वृद्धि हुई। कर्जों पर व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 56% की कमी हुई।

आर्थिक सहायताओं पर व्यय वर्ष 2008-09 के ₹ 129,773 करोड़ से घटकर वर्ष 2009-10 में ₹ 129,722 करोड़ हो गया, इसमें ₹ 51 करोड़ की कमी हुई। खाद्य, उर्वरक तथा पेट्रोलियम पर आर्थिक सहायता क्रमश: ₹ 58,443 करोड़, ₹ 61,636 करोड़ तथा ₹ 2,951 करोड़ थी।

मुख्य आर्थिक सहायताएं (₹ करोड़)			
विवरण	2009-10	2008-09	वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि
खाद्य	58,443	43,751	34%
उर्वरक	61,636	76,602	(-)20%
पेट्रोलियम	2,951	2,852	3%
अन्य	6,692	6,568	2%
कुल	**129,722**	**129,773**	**0%**

खाद्य आर्थिक सहायता में 34% की वृद्धि और उर्वरक आर्थिक सहायता में 20% की कमी हुई। ब्याज सहायता जैसी अन्य मदों में किसानों को अल्पावधि ऋण (₹ 2,011 करोड़) उपलब्ध कराने के लिए कम ब्याज सहायता दिए जाने के कारण आर्थिक सहायता के बिल में कमी हुई। हज चार्टर परिचालन के लिए ₹ 941 करोड़ की आर्थिक सहायता दी गई ।

निवल उधार

सरकारी उधार प्रक्रिया के मुख्य लाभग्राही राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें और विभिन्न सार्वजनिक निगम एवं संस्थाएं होती हैं। वर्ष 2009-10 के दौरान, सरकार ने ₹ 16,114 करोड़ के नए कर्ज दिए और पिछले वर्षों में दिए गए कर्जों की पुनर्अदायगी के रूप में ₹ 12,732 करोड़ प्राप्त किए। इस प्रकार, अग्रिमों के भंडार में ₹ 3,382 करोड़ की मामूली वृद्धि हुई । वर्ष 2009-10 के अंत में, सरकार द्वारा दिए गए कर्ज ₹ 219,666 करोड़ थे।

सरकार द्वारा दिए गए उधार (₹ करोड़)					
विवरण	01-अप्रैल-09	वृद्धियां	प्राप्तियां	31 मार्च 10	वृद्धि/कमी
राज्य सरकारें	143,870	7,835	8,553	143,152	[-]718
संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें	935	72	112	895	(-)40
विदेशी सरकारें	3,947	421	331	4,037	90
सरकारी निगम, गैर सरकारी संस्थाएं, स्थानीय निधियां, कृषक आदि	66,025	7,546	3,267	70,304	4,279
सरकारी कर्मचारी	1,507	240	469	1,278	(-)229
कुल	**216,284**	**16,114**	**12,732**	**219,666**	**3,382**

निवेश

वर्ष के दौरान सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में ₹ 22,011 करोड़ का निवेश किया गया। 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार कंपनियों में सरकार का कुल निवेश ₹ 286,920 करोड़ था।

कंपनियों आदि में सरकार का निवेश
(₹ करोड़)

विवरण	निवेश की गई राशि
निर्माणाधीन कंपनियां	13,972
सांविधिक निगम	5,405
सरकारी कंपनियां	201,865
अंतर्राष्ट्रीय निकाय	42,384
राज्य सहकारी बैंक/अन्य बैंक	22,899
सहकारी समितियां	395
कुल	**286,920**

ऋण और अन्य देयताएं

राजस्व की अपेक्षा व्यय के आधिक्य को पूरा करने के लिए सरकार आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से उधार का सहारा लेती है जिसे लोक ऋण कहा जाता है। इसके अलावा, लोक लेखे में प्रोद्भवन भी सरकार के घाटे के बजट के वित्तपोषण के स्रोत के रूप में काम करता है।

31 मार्च, 2010 को सरकार की कुल देयताएं ₹ 3,045,701 करोड़ थीं। आंतरिक ऋण ₹ 2,328,339 करोड़ (76%), बाह्य ऋण [ऐतिहासिक मूल्य पर] ₹ 134,083 करोड़ (4%) और अन्य देयताएं ₹ 583,279 करोड़* (19%) थीं।

भारत सरकार के ऋण और अन्य देयताएं

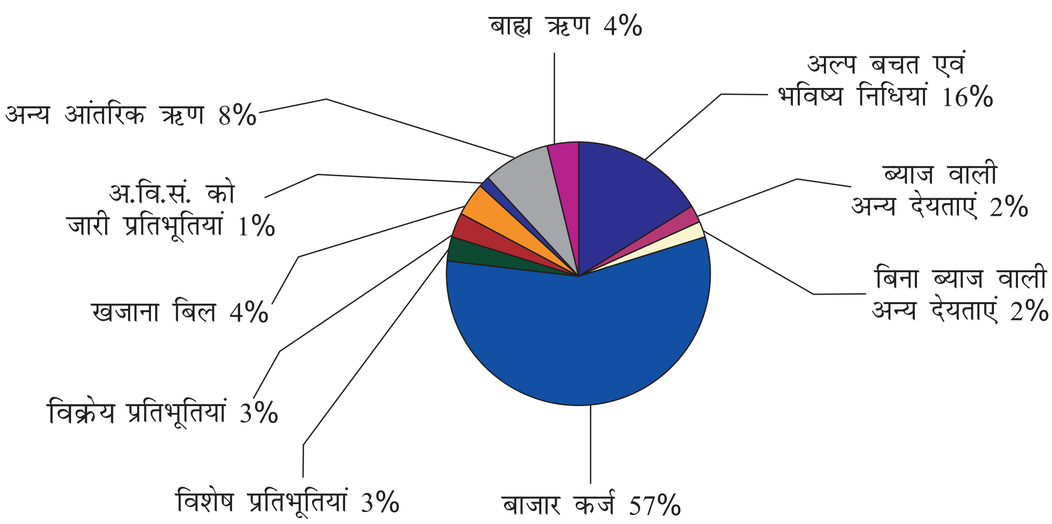

31 मार्च, 2010 को कुल लोक ऋण [ऐतिहासिक मूल्य पर लिया गया बाह्य ऋण] ₹ 2,462,422 करोड़ था। लोक ऋण जोकि वर्ष के आरंभ में ₹ 2,142,887 करोड़ था उसमें वर्ष के दौरान 15% की वृद्धि हुई। लोक ऋण 31.3.2010 को चालू विनिमय दर पर ₹ 2,577,645 करोड़ था जबकि 31.3.2009 को यह ₹ 2,283,901 करोड़ था।

*31.3.2010 को लोक लेखे मे केंद्र सरकार की कुल देयता ₹ 1,067,541 करोड़ थी। इसमें से, ₹ 482,762 करोड़ राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में और ₹ 1,500 करोड़ आईआईएफसीएल में निवेश किए गए और इस प्रकार इस संबंध में ₹ 583,279 करोड़ की बकाया निवल देयता है।

आंतरिक ऋण

आंतरिक ऋण के मुख्य संघटक बाजार कर्ज, भारतीय रिजर्व बैंक को जारी विशेष प्रतिभूतियां, 1.4.1999 से अल्प बचतों के निवल संग्रहण की तुलना में केंद्र सरकार को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां, प्रतिपूर्ति और अन्य बांड आदि हैं। इसके अतिरिक्त, खजाना बिलों से उधार, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं आदि को जारी की गई प्रतिभूतियां भी आंतरिक ऋण का भाग होती हैं।

वर्ष के आरंभ में आंतरिक ऋण का कुल भंडार, ₹ 2,019,841 करोड़ से बढ़कर वर्ष के अंत में ₹ 2,328,339 करोड़ हो गया। बाजार कर्ज में ₹ 408,424 करोड़ की वृद्धि होकर ₹ 1,746,619 करोड़ हो गया।

आंतरिक ऋण
(₹ करोड़)

स्रोत	01 अप्रैल 09	वृद्धियां	उन्मोचन	31 मार्च 10	वृद्धि/कमी
बाजार कर्ज	1,338,195	451,000	42,576	1,746,619	408,424
अ.वि.सं. को जारी प्रतिभूतियां	23,085	3,679	2,282	24,482	1,397
364 दिन के खजाना बिल	45,546	41,497	45,500	41,493	(-)4,053
14 दिन के खजाना बिल	98,663	2,369,194	2,372,189	95,668	(-)2,995
विक्रेय प्रतिभूतियां	86,818	0	10,000	76,818	(-)10,000
रा.अ.ब.नि. को केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूति (31.3.99)	73,569	0	0	73,569	0
रा.अ.ब.नि. को केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूति (1.4.99)	22,131	2,500	1,302	23,329	1,198
बाजार स्थिरीकरण स्कीम	88,773	0	86,036	2,737	(-)86,036
अन्य	243,061	515,280	514,717	243,624	563
कुल आंतरिक ऋण	**2,019,841**	**3,383,150**	**3,074,652**	**2,328,339**	**308,498**

बाजार स्थिरीकरण स्कीम को मुख्य रूप से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा के अंतर्वाह के कारण बाजार में उपलब्ध अधिक चल निधि को आमेलित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2004-05 में शुरू किया गया था। 31.3.2010 को बाजार स्थिरीकरण स्कीम के अंतर्गत ₹ 2,737 करोड़ का बकाया शेष था।

बाह्य ऋण

2009-10 के अंत में बाह्य ऋण का भंडार [ऐतिहासिक विनिमय दरों पर] ₹ 134,083 करोड़ है जो कुल बकाया ऋण का 5.47% है। वर्तमान विनिमय दर पर [31.3.2010 की स्थिति के अनुसार] यह ₹ 249,306 करोड़ है - इसमें 31.3.2009 की स्थिति के अनुसार बकाया ₹ 264,059 करोड़ की अपेक्षा ₹ 14,753 करोड़ की कमी आई।

बाह्य ऋण
(₹ करोड़)

स्रोत	ऐतिहासिक विनिमय दरों पर					
	01-अप्रैल-09	वृद्धियां	उन्मोचन	31-मार्च-10	वृद्धि/कमी	वर्तमान मूल्य
आई.डी.ए.	49,093	6,266	3,830	51,529	2,436	114,552
जापान	24,032	6,158	3,152	27,038	3,006	56,164
एशियाई विकास बैंक	20,644	4,962	607	24,999	4,355	25,803
जर्मनी	1,572	476	479	1,569	(-)3	11,097
आई बी आर डी	25,182	4,104	1,751	27,535	2,353	28,875
संयुक्त राज्य अमेरिका	(-)3,813	0	275	(-)4,088	(-)275	1,715
अन्य	6,336	211	1,046	5,501	(-)835	11,100
कुल बाह्य ऋण	**123,046**	**22,177**	**11,140**	**134,083**	**11,037**	**249,306**

विदेशी मुद्रा में बाह्य ऋण को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है।

विदेशी मुद्रा में बाह्य ऋण
(₹ करोड़)

स्रोत	मुद्रा	01-अप्रैल-09	वृद्धियां	उन्मोचन	31-मार्च-10	वृद्धि/कमी
एडीबी	अमरीकी डालर	480	105	13	572	117
जर्मनी	यूरो	183	7	7	183	0
आईबीआरडी	अमरीकी डालर	592	85	37	640	48
आईडीए	अमरीकी डालर	400	0	25	375	(-)25
आईडीए	एसडीआर	1,390	76	36	1,430	40
जापान	येन	109,392	12,125	6,143	115,374	5,982
रूसी परिसंघ	रुपए	825	0	54	771	(-)54
रूसी परिसंघ	अमरीकी डालर	147	20	14	153	6

लोक लेखे की देयताएं

31.3.2010 को लोक लेखे में ₹ 583,279 करोड़ की कुल देयताएं थीं। ब्याज वाली देयताएं ₹ 536,701 करोड़ की थीं और शेष ₹ 46,578 करोड़ की बिना ब्याज वाली देयताएं थीं।

लोक लेखे की देयताएं
(₹ करोड़)

विवरण	01-अप्रैल-09	वृद्धियां	उन्मोचन	31-मार्च-10	वृद्धि/कमी
अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	427,553	378,377	342,104	463,826	36,273
अन्य ब्याज वाली	78,384	42,639	48,148	72,875	(-)5,509
आरक्षित निधि	15,627	18,080	28,858	4,849	(-)10,779
जमा	62,757	24,559	19,290	68,027	5,270
अन्य बिना ब्याज वाली	50,298	160,979	164,699	46,578	(-)3,720
आरक्षित निधियां	18,621	83,341	86,140	15,822	(-)2,799
जमा	31,677	77,638	78,559	30,756	(-)921
कुल	**556,235**	**581,995**	**554,951**	**583,279**	**27,044**

राष्ट्रीय अल्प बचत निधि

भारत के लोक लेखे में राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को 1.4.1999 को स्थापित किया गया था। इस निधि में धन विभिन्न अल्प बचत स्कीमों के अभिदाताओं से प्राप्त किया जाता है और इसमें उपलब्ध शेष को केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। इसमें निवेश का स्वरूप भारत सरकार के समय-समय पर निर्धारित मानदंडों के अनुरूप होता है। 1 अप्रैल, 2002 से, अल्प बचतों के समग्र निवल संग्रहण को संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त संग्रहणों के अनुपात में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल वाले) की विशेष प्रतिभूतियों में पुन: निवेश किया जाता है।

वर्ष 2009-10 के दौरान राष्ट्रीय अल्प बचत निधि संग्रहण [निवल] ₹ 126,395 करोड़ था जिसमें से ₹ 24,206 करोड़ राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किए गए थे। केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में ₹ 1,302 करोड़ की पुनर्अदायगी भी की गई। इस अवधि के दौरान निधि की आय [इसके निवेशों पर] और व्यय क्रमश: ₹ 62,087 करोड़ और ₹ 72,213 करोड़ था। इस प्रकार, इस निधि का शेष जो कि वर्ष के आरंभ में ₹ 10,085 करोड़ था वह वर्ष के अंत में बढ़कर ₹ 26,805 करोड़ हो गया।

राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (₹ करोड़)					
विवरण	**01-अप्रैल-09**	**वृद्धियां**	**उन्मोचन**	**31-मार्च-10**	**वृद्धि/कमी**
अंतर्वाह	**664,138**	**313,018**	**186,623**	**790,533**	**126,395**
संग्रहण	664,138	313,018	186,623	790,533	126,395
बचत जमा	328,602	185,797	152,119	362,280	33,678
बचत प्रमाण पत्र	203,730	31,685	25,832	209,583	5,853
सार्वजनिक भविष्य निधि	131,806	33,449	8,672	156,583	24,777
निवेश से आय	0	62,087	0	62,087	62,087
बहिर्वाह	**654,053**	**11,958**	**121,633**	**763,728**	**109,675**
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि का निवेश	654,053	11,958	121,633	763,728	109,675
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां	193,997	1,302	14,558	207,253	13,256
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	458,556	10,656	34,862	482,762	24,206
अन्य लिखतों के अंतर्गत निवेश	1,500	0	0	1,500	0
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि का व्यय			72,213	72,213	72,213
शेष	**10,085**	**301,060**	**64,990**	**26,805**	**16,720**

31 मार्च, 2010 को इस स्कीम के अभिदाताओं के प्रति, निधि के कुल भंडार में ₹ 790,533 करोड़ की देयताएं थीं, जिसमें से ₹ 362,280 करोड़ बचत जमाओं के लिए, ₹ 209,583 करोड़ बचत प्रमाण पत्रों के लिए और ₹ 156,583 करोड़ सार्वजनिक भविष्य निधि के रूप में रखे गए हैं। वर्ष 2009-10 के अंत में निधि का निवेश ₹ 763,728 करोड़ था, जिसमें से ₹ 482,762 करोड़ राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में, ₹ 207,253 करोड़ केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में और शेष ₹ 1,500 करोड़, अन्य लिखतों में निवेश किए गए हैं।

आकस्मिक देयताएं

संविधान के अनुच्छेद 292 के अधीन, संघ सरकार उस सीमा तक, यदि कोई हो, जिसे संसद कानून द्वारा निर्धारित करे, गारंटियां दे सकती है। राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली में यह अनुबद्ध किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2004-05 से आरंभ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में सरकार सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत से अधिक धनराशि के लिए गारंटी नहीं देगी।

इन प्रावधानों के अधीन, सरकार विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं को उनके उधारों की पुनर्अदायगी और उस पर ब्याज की अदायगी, उनके शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी और न्यूनतम लाभांश की अदायगी तथा उधार के आधार पर सामग्रियों और उपस्कर की आपूर्तियों के लिए अदायगी आदि की गारंटी देती है। इन गारंटियों में सरकार की ऐसी आकस्मिक देयताओं को शामिल किया जाता है जिन्हें ऐसी गारंटियों के लाभार्थियों द्वारा कोई चूक होने की स्थिति में भारत की समेकित निधि से उन्मोचित किया जाना होता है।

वर्ष 2009-10 के दौरान, सरकार द्वारा ₹ 150,437 करोड़ की अधिकतम राशि की गारंटी दी गई थी जो सकल घरेलू उत्पाद का 2.44% थी। 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार ₹ 137,460 करोड़ की गारंटियां बकाया थीं। वर्ष के अंत में बकाया गारंटियों में ₹ 24,125 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष 2008-09 के दौरान वसूल किए गए ₹ 297 करोड़ की तुलना में सरकार ने गारंटी शुल्क के रूप में ₹ 446 करोड़ वसूल किए।

सरकार की गारंटियां
(₹ करोड़)

	विवरण	31-मार्च-09	31-मार्च-10	वृद्धि/कमी
I	भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को मूलधन और ब्याज आदि की पुनर्अदायगी के लिए गारंटियां	37,974	55,777	17,803
II	सांविधिक निगमों और वित्तीय संस्थाओं को शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम लाभांश की अदायगी, बांडों/कर्जों आदि की पुनर्अदायगी के लिए गारंटियां	16,018	9,275	[-] 6,743
III	मूलधन की पुनर्अदायगी, कर्ज आदि पर ब्याज/ प्रतिबद्धता प्रभारों की अदायगी और कंपनियों, निगमों, पत्तन न्यासों आदि को आपूर्ति के लिए करारों के प्रति अदायगी के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, विदेशी ऋणदाता अभिकरणों, विदेशी सरकारों आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में गारंटियां	58,712	71,787	13,075
IV	कंपनियों/निगमों को आपूर्तियों के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को प्राधिकार पत्रों के लिए बैंकों को प्रति-गारंटियां	631	621	(-)10
V	रेलवे/राज्य विद्युत बोर्डों को	—	—	—
VI	विदेशों में भारतीय कंपनियों को प्रदान की गई संविदाओं/परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निष्पादन गारंटियां	—	—	—
	कुल	**113,335**	**137,460**	**24,125**

विनियोग लेखे

वर्ष 2009-10 के लिए संसद ने संघ सरकार के सिविल मंत्रालयों के लिए 98 अनुदानों के अंतर्गत ₹ 2,885,082 करोड़ के कुल प्रावधान को अनुमोदन प्रदान किया। इस प्रावधान को वर्ष के दौरान ₹ 1,471,230 करोड़ के पूरक अनुदान आदि के माध्यम से बढ़ाकर ₹ 4,356,312 करोड़ कर दिया गया। ₹ 4,356,312 करोड़ का अंतिम प्रावधान पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 1,135,445 करोड़ [35%], अधिक था।

इस प्रावधान की तुलना में वर्ष के दौरान किया गया वास्तविक व्यय ₹ 4,117,712 करोड़ था। प्रभारित अंश के अंतर्गत व्यय ₹ 176,352 करोड़ की बचत सहित ₹ 3,349,254 करोड़ था जबकि स्वीकृत अंश के अंतर्गत व्यय ₹ 62,248 करोड़ की बचत सहित ₹ 768,458 करोड़ था।

विनियोग लेखे (सिविल) का सार
(₹ करोड़)

	मूल प्रावधान (1)	अंतिम प्रावधान (2)	अंतर (3)=(2)-(1)	वास्तविक व्यय (4)	अंतर (5)=(4)-(2)
प्रभारित	2,155,994	3,525,606	1,369,612	3,349,254	(-) 176,352
स्वीकृत	729,088	830,706	101,618	768,458	(-) 62,248
कुल	**2,885,082**	**4,356,312**	**1,471,230**	**4,117,712**	**(-) 238,600**

स्वीकृत व्यय कुल व्यय का 19% था, शेष 81% प्रभारित व्यय था।

प्रभारित व्यय

वर्ष 2009-10 के दौरान सिविल मंत्रालयों के प्रभारित व्यय में मुख्य रूप से ऋण की पुनर्अदायगी (₹ 3,085,792 करोड़), ब्याज अदायगियां (₹ 223,701 करोड़) और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण (₹ 37,418 करोड़) शामिल थे। ये तीनों मिलकर कुल प्रभारित व्यय का 99.93% था। विनियोग – "ऋण की पुनर्अदायगी" में विभिन्न परिपक्वताओं के खजाना बिलों के उन्मोचन और अर्थोपाय अग्रिम पर ₹ 2,926,992 करोड़ की राशि शामिल है।

अधिक व्यय

अनुदानों के राजस्व भाग के अंतर्गत कुल प्रावधानों से अधिक व्यय होने के चार मामले थे। बड़ी मात्रा में अधिक व्यय अनुदान संख्या 21-रक्षा पेंशन के अंतर्गत हुआ, जहां राजस्व भाग के अंतर्गत प्रावधान 8,999.54 करोड़ रु. अधिक हो गया।

समस्त प्रावधान की अपेक्षा अधिक व्यय (₹ करोड़)							
अनुदान सं.	अनुदान/विनियोग का नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		वास्तविक व्यय		अधिक व्यय	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
20	रक्षा मंत्रालय	10822.35	–	10917.67	–	95.32	–
21	रक्षा पेंशन	25999.75	–	34999.29	–	8999.54	–
14	दूरसंचार विभाग	10765.87	–	10853.69	–	87.82	–
54	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	1361.47	–	1397.68		36.21	–

बचत

वर्ष 2009-10 के दौरान, सिविल अनुदानों/विनियोगों के संबंध में ₹ 247,819 करोड़ की बचत हुई। कुल ₹ 9,219 करोड़ का अधिक व्यय भी हुआ। निम्नलिखित अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत महत्वपूर्ण बचतें हुईं।

महत्वपूर्ण बचतें				
अनुदान/विनियोग		भाग	बचतें (₹ करोड़)	कारण
सं.	विवरण			
32	आर्थिक कार्य विभाग	पूंजीगत स्वीकृत	12281	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कोटे का अनुसमर्थन न होने के कारण तथा एस.डी.आर.के संदर्भ में मुद्रा का मूल्य बरकरार रखने के कारण हुई।
33	वित्तीय सेवाएं विभाग	पूंजीगत स्वीकृत	2075	राष्ट्रीय आवास बैंक तथा नाबार्ड में भारतीय रिजर्व बैंक के साझीदार होने की अधिग्रहण लागत के लिए कार्यविधिक औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण हुई।
33	वित्तीय सेवाएं विभाग	राजस्व स्वीकृत	1873	ऋणदाता संस्थाओं द्वारा घटती दर पर ब्याज की गणना करने के कारण हुई।
34	ब्याज अदायगियां	राजस्व प्रभारित	6997	कम खजाना बिलों के जारी होने, सरकारी प्रतिभूतियों को वापस खरीद लेने के प्रस्ताव को मूर्तरूप न लेने, नई प्रतिभूतियों के जारी न होने के कारण हुई।
35	राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र को अंतरण	राजस्व प्रभारित	4800	बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों को राज्य सरकारों द्वारा पूरा न किए जाने के कारण हुई।
35	राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र को अंतरण	पूंजीगत प्रभारित	1000	राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।
35	राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र को अंतरण	राजस्व स्वीकृत	5708	कम संख्या में राज्य सरकारों के पात्र होने अथवा कम ऋण माफी होने, कुछ राज्य सरकारों को आईएमजी/एचएलसी द्वारा कम सहायता की सिफारिश किए जाने तथा जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत संबंधित मंत्रालयों से कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।
37	ऋण की पुनर्अदायगी	पूंजीगत प्रभारित	162413	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में वित्तीय लेन-देन योजना को मूर्तरूप न दिए जाने, अर्थोपाय अग्रिम का सहारा कम लेने तथा बांडधारकों द्वारा कम दावों को तरजीह देने के कारण हुई।

महत्वपूर्ण बचतें				
अनुदान/विनियोग		भाग	बचतें	कारण
सं.	विवरण		(₹ करोड़)	
44	विनिवेश विभाग	पूंजीगत स्वीकृत	5380	राष्ट्रीय निवेश निधि की लेखा प्रक्रिया में परिवर्तन होने की वजह से निधि को विनिवेश प्राप्ति का अंतरण होने के कारण हुई।
53	पुलिस	पूंजीगत स्वीकृत	2252	सीमा क्षेत्रों में गोलीबारी होने की वजह से के.लो.नि.वि. द्वारा कार्य की धीमी प्रगति होने, कुछ मुख्य अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।
57	विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	राजस्व स्वीकृत	4768	मध्याह्न भोजन स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों तथा भारतीय खाद्य निगम से तथा सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य कार्यान्वयन समितियों से प्राप्त प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।
58	उच्चतर शिक्षा विभाग	राजस्व स्वीकृत	1553	आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के अंतर्गत केवल प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए निधियां जारी किए जाने, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को स्थायी परिसर के लिए भूमि के अंतरण संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने तथा विश्वविद्यालय और कालेज के शिक्षकों के लिए छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू न किए जाने के कारण हुई।
69	पंचायती राज मंत्रालय	राजस्व स्वीकृत	1004	'अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम' के अंतर्गत राज्य सरकार से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।
74	विद्युत मंत्रालय	राजस्व स्वीकृत	2326	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के अंतर्गत "राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना" स्कीम की प्रगति धीमी होने के कारण हुई।
80	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व स्वीकृत	11143	राज्य सरकारों के पास अव्ययित शेष की उपलब्धता होने तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता के लिए राज्य सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।
87	सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग	राजस्व स्वीकृत	3099	राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाण पत्रों की प्राप्ति न होने तथा भूमि अधिग्रहण और वन संबंधी अनापत्ति को अंतिम रूप न दिए जाने तथा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी होने की वजह से पुन: सतह चढ़ाने के लक्ष्यों में कमी होने के कारण हुई।
87	सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग	पूंजीगत स्वीकृत	1988	भूमि अधिग्रहण तथा वन अनापत्ति संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने तथा संशोधित अनुमान चरण पर योजना आयोग द्वारा प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।
94	जनजातीय कार्य मंत्रालय	राजस्व प्रभारित	1113	उपयोग प्रमाण-पत्रों की प्राप्ति न होने तथा राज्य सरकारों द्वारा पूरे प्रस्तावों को निर्धारित प्ररूप में प्रस्तुत किए जाने में विलम्ब होने के कारण हुई।

परिशिष्ट

1.	दस वर्षीय सारांश	39
2.	करेतर राजस्वों का विवरण	41
3.	वाणिज्यिक प्राप्तियों का विवरण	42
4.	ब्याज वाले बाजार कर्जों का परिपक्वता ब्योरा	43
5.	योजनेतर व्यय का विवरण	44
6.	आर्थिक सहायताओं का विवरण	46
7.	वेतन और भत्तों पर व्यय	50
8.	₹ 1000 करोड़ से अधिक की बजट सहायता वाली मुख्य योजना स्कीमों पर व्यय	56
9.	मंत्रालयों और विभागों का व्यय	59
10.	₹ 100 करोड़ तथा इससे अधिक की बचत वाले अनुदान/विनियोग	74

दस वर्षीय सारांश

(₹ करोड़)

	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07 -08	08-09	09-10
राजस्व प्राप्तियां	192,624	201,449	230,803	265,054	306,013	347,462	434,387	41,925	540,007	572,811
सकल कर राजस्व	188,603	187,060	216,266	254,348	304,958	364,649	471,512	591,347	603,498	621,368
निगम कर	35,696	36,609	46,172	63,562	82,680	101,277	144,306	192,911	213,395	244,725
आय कर	31,764	32,004	36,866	41,379	49,258	55,976	75,093	102,644	106,046	122,370
सीमा शुल्क	47,542	40,268	44,852	48,629	57,611	65,067	86,327	104,119	99,879	83,324
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	68,526	72,555	82,310	90,774	99,125	111,226	117,612	123,425	108,402	102,991
सेवा कर	2,613	3,302	4,122	7,891	14,200	23,055	37,597	51,301	60,941	58,422
केन्द्र को निवल कर राजस्व	136,658	133,662	159,425	186,982	224,798	270,264	351,182	439,547	443,319	456,536
करेतर राजस्व	55,966	67,787	71,379	78,072	81,215	77,198	83,205	102,378	96,688	116,275
ब्याज प्राप्तियां	32,811	35,538	37,622	38,538	35,714	22,032	21,371	21,061	20,935	21,783
लाभांश और लाभ	13,575	17,290	21,230	21,160	22,939	25,451	29,309	34,500	38,607	50,250
ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियां	2,125	3,646	3,151	16,953	66,467	12,226	6,426	43,895	6,705	33,194
विनिवेश से आय	2,125	3,646	3,149	16,632	4,364	1,570	-	4,387	22	2,233
व्यय	325,611	362,453	399,451	472,444	497,682	506,123	583,386	712,732	884,136	1,024,488
योजना व्यय	82,669	101,194	111,470	122,280	132,292	140,638	169,860	205,082	275,235	303,393
योजनेतर व्यय	242,942	261,259	287,981	350,164	365,390	365,485	413,526	507,650	608,901	721,095
राजस्व व्यय	277,857	301,611	338,682	363,316	384,351	439,761	514,608	594,494	793,612	911,810
पूंजीगत व्यय	47,754	60,842	60,769	109,128	44,798	66,362	68,778	118,238	90,524	112,678
उधार ऋणात्मक पुनर्अदायगी	10,962	17,880	(-)2523	(-)38497	663	692	(8,672)	1,385	1,077	3,382
राजकोषीय घाटा	118,815	140,954	131,306	123,272	125,202	146,435	142,573	126,912	337,424	418,483
राजस्व घाटा	85,233	100,162	107,879	98,262	78,338	92,299	80,221	52,569	253,605	338,999
प्रारंभिक घाटा	19,501	33,494	13,816	(-)816	(-)1732	13,805	(-)7699	(44,118)	145,969	205,390
लोक ऋण (शेष)	993,715	1,112,957	1,216,757	1,325,909	1,467,242	1,583,957	1,746,207	2,009,755	2,283,900	2,577,645
आंतरिक ऋण	803,698	913,061	1,020,689	1,141,706	1,275,971	1,389,758	1,544,975	1,799,651	2,019,841	2,328,339
बाह्य ऋण (वर्तमान मूल्य)	190,017	199,896	196,068	184,203	191,271	194,199	201,232	210,104	264,059	249,306
भारत सरकार की अन्य देयताएं	245,127	286,582	331,419	333,725	356,037	384,842	438,842	466,602	556,235	583,279
सकल घरेलू उत्पाद के प्रति प्रतिशतता										
राजस्व प्राप्तियां	9.2	8.8	9.4	9.6	9.8	9.7	10.5	11.50	9.95	9.29
सकल कर राजस्व	9.6	9.0	9.4	10.3	11.0	10.2	11.4	12.55	11.12	10.08
करेतर राजस्व	2.9	3.2	3.1	3.2	2.9	2.2	2.0	2.17	1.78	1.89
व्यय	15.6	15.8	16.2	17.1	15.9	14.2	14.1	15.12	16.29	16.62
राजस्व व्यय	13.3	13.1	13.7	13.2	12.3	12.3	12.5	12.61	14.63	14.79
पूंजीगत व्यय	2.3	2.7	2.5	4.0	3.6	1.9	1.7	2.51	1.67	1.83
राजकोषीय घाटा	5.7	6.1	5.3	4.5	4.0	4.1	3.5	2.69	6.22	6.79
राजस्व घाटा	4.1	4.4	4.4	3.6	2.5	2.6	1.9	1.12	4.67	5.50
लोक ऋण	47.6	48.5	49.3	48.0	47.0	44.4	42.3	42.64	42.09	41.82
आंतरिक ऋण	41.1	43.7	44.5	46.2	46.2	39.0	37.5	38.18	37.22	37.77
बाह्य ऋण	9.7	9.6	8.5	7.5	6.9	5.4	4.9	4.46	4.87	4.04

करेतर राजस्व

(₹ करोड़)

विवरण	2009-10			2008-09		
	संशोधित अनुमान	वास्तविक	%	संशोधित अनुमान	वास्तविक	%
क ब्याज प्राप्तियां						
सकल	*24553.42*	*35849.38*	*146*	*28440.00*	*30826.13*	*108*
घटाएं- बाजार उधारों की आनुषंगिक प्राप्तियां	*1883.67*	*10607.37*	*563*	*8637.87*	*8938.91*	*103*
ब्याज का अधित्याग	*3458.22*	*3458.22*	*100*	*1170.21*	*1170.21*	*100*
निवल	**19211.53**	**21783.79**	**113**	**18631.92**	**20717.01**	**111**
ख लाभांश और लाभ	**51982.80**	**50249.78**	**97**	**39735.94**	**38607.71**	**97**
ग संघ राज्य क्षेत्रों के करेतर राजस्व	**1073.05**	**1218.01**	**114**	**749.17**	**796.82**	**106**
घ अन्य करेतर राजस्व						
राजकोषीय सेवाएं–	149.04	113.24	76	138.13	58.88	43
अन्य सामान्य सेवाएं–सकल	*22771.75*	*21647.36*	*95*	*19820.20*	*17695.41*	*89*
घटाएं- बट्टे खाते डाले गए कर्ज	*83.39*	*83.39*	*100*	*412.72*	*412.72*	*100*
निवल	22688.36	21563.97	95	19407.48	17282.69	89
सामाजिक सेवाएं	664.66	671.82	101	578.38	502.99	87
आर्थिक सेवाएं -						
सकल	*40823.76*	*42707.03*	*105*	*118416.86*	*117445.19*	*99*
घटाएं- कर्जों/ब्याज का अधित्याग	*3610.68*	*3610.68*	*100*	*551.34*	*551.34*	*100*
निवल	37213.08	39096.35	105	117865.52	116893.85	99
सहायता अनुदान एवं अंशदान	3077.59	3141.45	102	2748.01	2794.13	102
कुल अन्य करेतर राजस्व	**63792.73**	**64586.83**	**101**	**140737.52**	**137533.54**	**98**
घटाएं						
वाणिज्यक विभाग	21955.78	21563.20	98	103651.02	100714.59	97
निवल अन्य करेतर राजस्व	**39923.46**	**43023.63**	**108**	**37086.50**	**36818.95**	**99**
कुल	**112190.84**	**116275.21**	**104**	**96203.53**	**96939.49**	**101**

वाणिज्यिक प्राप्तियां

(₹ करोड़)

विवरण	2009-10			2008-09		
	संशोधित अनुमान	वास्तविक	%	संशोधित अनुमान	वास्तविक	%
सामान्य सेवाएं						
1 कैंटीन स्टोर विभाग	**8500.00**	**8729.55**	**102.70**	**6780.00**	**6869.50**	**101.32**
आर्थिक सेवाएं						
2 दिल्ली दुग्ध योजना	295.14	265.67	90.01	289.01	271.24	93.85
3 अफीम एवं एल्केलायड फैक्टरियां	300.97	299.86	99.63	311.14	315.28	101.33
4 ईंधन संरचना सुविधा*	938.84	814.39	86.74	734.85	497.33	67.68
5 ईंधन माल सूची*	1326.97	985.63	74.28	948.82	714.43	75.30
6 भारी पानी पूल प्रबंधन*	0.00	0.00	0.00	583.64	595.82	102.09
7 बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र	304.73	342.29	112.33	320.76	325.89	101.60
8 प्रकाश स्तंभ एवं प्रकाश पोत	150.00	151.47	100.98	135.00	136.58	101.17
9 डाक प्राप्तियां	6552.62	6266.70	95.64	5966.22	5862.33	98.26
10 भारतीय रेल	90713.07	89229.29	98.36	84233.18	81658.98	96.94
कुल आर्थिक सेवाएं	**100582.34**	**98355.30**	**97.79**	**93522.62**	**90377.88**	**96.64**
कुल	**109082.34**	**107084.85**	**98.17**	**100302.62**	**97247.38**	**96.95**

* इन मामलों में वास्तविक आंकड़े परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा अलग से प्रस्तुत किए गए अनुसार हैं।

ब्याज वाले बाजार कर्ज का परिपक्वता ब्योरा

वर्ष	₹ करोड़
2010 से पूर्व परिपक्वता	38
2010 में परिपक्वता	81,294
2011 में परिपक्वता	103,860
2012 में परिपक्वता	79,621
2013 में परिपक्वता	70,735
2014 में परिपक्वता	104,862
2015 में परिपक्वता	172,674
2016 में परिपक्वता	148,130
2017 में परिपक्वता	159,887
2018 में परिपक्वता	93,235
2019 में परिपक्वता	118,000
2020 में परिपक्वता	67,000
2021 में परिपक्वता	75,213
2022 में परिपक्वता	72,465
2023 में परिपक्वता	19,000
2024 में परिपक्वता	10,000
2026 में परिपक्वता	15,000
2027 में परिपक्वता	52,680
2028 में परिपक्वता	26,000
2032 में परिपक्वता	101,956
2034 में परिपक्वता	60,000
2035 में परिपक्वता	42,350
2036 में परिपक्वता	59,000
2039 में परिपक्वता	13,000
कुल	**1,746,000**

योजनेतर व्यय

(₹ करोड़)

	2009-10			2008-09		
	संशोधित अनुमान	वास्तविक	%	संशोधित अनुमान	वास्तविक	%
क. राजस्व व्यय						
1 ब्याज अदायगियां						
सकल	*230383.67*	*223700.84*	*97.10*	*201819.76*	*201143.37*	*99.66*
घटाएं प्रोद्भूत ब्याज	*10883.67*	*10607.37*	*97.46*	*9125.37*	*8938.91*	*97.96*
निवल	219500.00	213093.47	97.08	192694.39	192204.46	99.75
2 रक्षा	88440.00	90668.72	102.52	73600.00	73304.80	99.60
3 मुख्य आर्थिक सहायताएं (खाद्य, चीनी, उर्वरक तथा निर्यात संवर्धन)	123936.26	123029.53	99.27	122352.38	123205.66	100.70
4 ब्याज तथा अन्य आर्थिक सहायताएं	7088.68	6692.46	94.41	6890.30	6566.87	95.31
5 डाक घाटा	5463.46	6437.87	117.84	3824.77	3593.10	93.94
6 पुलिस	24590.24	25999.53	105.73	20711.43	20122.26	97.16
7 पेंशन	42232.12	56148.63	132.95	32690.08	32940.55	100.77
8 आम चुनाव	850.00	948.51	111.59	17.20	17.16	99.77
9 अन्य सामान्य सेवाएं (राज्य के अंग, कर संग्रहण, विदेश मामले आदि)	18459.00	15437.76	83.63	15881.36	16906.06	114.76
10 सामाजिक सेवाएं (शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रसारण आदि)	35146.58	33188.21	94.43	28125.57	28568.78	101.58
11 राज्य आपदा राहत कार्य को सहायता-सकल	*3160.00*	*3160.00*	*100.00*	*3264.70*	*2279.92*	*69.84*
घटाएं राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से पूरी की गई राशि	*316000*	*3160.00*	*100.00*	*3264.70*	*2279.92*	*69.84*
निवल	0.00	0.00		0.00	*0.00*	
12 रेलवे को लाभांश राहत एवं अन्य रियायतें	2243.44	2810.34	125.27	1735.17	2346.91	135.26

(₹ करोड़)

	2009-10			2008-09		
	संशोधित अनुमान	वास्तविक	%	संशोधित अनुमान	वास्तविक	%
13 आर्थिक सेवाएं (कृषि, उद्योग, विद्युत, परिवहन, संचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आदि)	22549.01	32602.46	144.58	20319.33	16525.47	81.33
14 राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदान	46610.23	45972.13	98.63	38420.78	38161.18	99.32
15 बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों का व्यय	3265.63	3332.65	102.05	3092.65	3118.86	100.85
16 विदेशी सरकारों को अनुदान	1569.43	1560.51	99.43	1435.12	1442.35	100.50
कुल-राजस्व व्यय	**641944.08**	**657922.78**	**102.49**	**561790.53**	**559024.47**	**99.51**
ख. पूंजीगत व्यय						
1 रक्षा	47824.00	51112.37	106.88	41000.00	40918.48	99.80
2 अन्य योजनेतर पूंजीगत परिव्यय	15338.19	10952.45	71.41	13694.37	6395.97	46.71
3 सार्वजनिक उद्यमों को कर्ज	636.58	461.70	72.53	799.32	1305.25	163.30
4 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को कर्ज	88.30	82.95	93.94	88.75	86.00	96.90
5 विदेशी सरकारों को कर्ज	127.84	124.16	97.12	814.81	833.17	102.25
6 अन्य योजनेतर कर्ज	421.75	474.27	112.45	25.90	358.72	1385.02
7 बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों का व्यय	(-)9.51	(-)36.43	383.07	(-)216.81	(-)200.80	92.62
कुल-पूंजीगत व्यय	**64427.15**	**63171.47**	**98.05**	**56206.34**	**49696.79**	**88.42**
कुल	**706371.23**	**721094.25**	**102.08**	**617996.87**	**608721.26**	**98.50**

आर्थिक सहायताओं का विवरण 2009-10

(₹ करोड़)

श्रेणी	अनुदान सं.	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
मुख्य आर्थिक सहायताएं -			**105578.97**	**123936.26**	**123029.53**
खाद्य	**17**	2408	52489.72	56002.01	58442.73
देशी (यूरिया) उर्वरक	**7**	2852	9780.25	14080.25	17580.25
आयातित (यूरिया) उर्वरक	**7**	2401	5947.94	3947.94	4603.32
किसानों को रियायत के साथ विनियंत्रित उर्वरक की बिक्री	**7**	2401	34252.06	34952.06	39452.06
पेट्रोलियम संबंधी आर्थिक सहायता	**72**	2802	3109.00	14954.00	2951.17
ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता			**2600.56**	**2719.16**	**2686.33**
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम लागू करने के लिए बैंकों से लिए गए कर्ज-			60.72	54.63	48.00
(क) *हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि.*	***91***	*2852*	*55.48*	*49.39*	*42.95*
(ख) *मेकन लि.*	***91***	*2852*	*5.24*	*5.24*	*5.05*
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम लागू करने के वास्ते वित्तीयन के लिए बैंक को ब्याज सहायता	**49**	2852	20.29	14.75	10.27
गोअन बैंक	**33**	2885	0.08	0.08	0.07
खादी ग्रामोद्योग आयोग-			27.36	27.36	27.36
(क) *खादी उद्योगों के लिए*	***64***	*2851*	*22.00*	*22.00*	*22.00*
(ख) *अन्य ग्रामीण उद्योगों के लिए*	***64***	*2851*	*5.36*	*5.36*	*5.36*

(₹ करोड़)

श्रेणी	अनुदान सं.	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना के संबंध में जीवन बीमा निगम को ब्याज सम्बन्धी आर्थिक सहायता	**33**	2235	172.00	270.82	270.76
किसानों को अल्पावधि उधार प्रदान करने के लिए आर्थिक अनुदान	**33**	2416	2011.00	2011.00	2011.00
बैंकों को ब्याज संबंधी सहायता	**11**	3453	0.00	200.00	200.00
भारतीय निर्यात-आयात बैंक को ब्याज समकरण सहायता	**32**	3475	278.00	139.41	118.87
सहकारी चीनी मिलों को नाबार्ड के माध्यम से ब्याज सम्बन्धी आर्थिक सहायता	**17**	2408	31.11	1.11	0.00
अन्य आर्थिक सहायता (ब्योरे अलग से दिए गए हैं)*			**3096.35**	**4369.52**	**4006.13**

*अन्य आर्थिक सहायता 2009-10

(₹ करोड़)

श्रेणी	अनुदान सं.	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
नेफेड को एमआईएस/पीएसएस के लिए अनुदान	**1**	2401	425.00	850.00	850.00
हज चार्टरों के प्रचालन के लिए आर्थिक सहायता	**9**	3053	620.00	941.00	941.00
चीनी के सुरक्षित भंडार के अनुरक्षण संबंधी आर्थिक सहायता	**17**	2408	300.00	125.00	123.94
आयातित खाद्य तेल पर हुई हानि के लिए एसटीसी को अदायगी	**17**	3456	0.01	0.01	0.00
शिपयार्डों को आर्थिक सहायता–			545.53	433.00	179.21
(क) कोचीन शिपयार्ड लि.	**86**	2852	*120.00*	*108.00*	*83.19*
(ख) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.	**86**	2852	*55.00*	*25.00*	*18.96*
गैर-केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शिपयार्ड और निजी क्षेत्र के शिपयार्ड	**86**	2852	*370.53*	*300.00*	*77.06*
पूर्वोत्तर क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए आर्थिक सहायता	**54**	3053	30.00	30.00	34.99
असम गैस परियोजना को आर्थिक सहायता	**6**	2852	0.01	0.01	0.00
विनिमय हानि के लिए प्रतिपूर्ति–			0.50	0.50	0.03
(क) एनआरआई बांड स्कीम के अंतर्गत विनिमय हानि	**32**	3475	*0.50*	*0.50*	*0.03*
कर्जों को बट्टे खाते डालना – एचएफसीएल, एमएफएल, एफएसीटी, एफसीआई और पीडीआईएल	**7**	3475	0.01	0.01	0.00
बाजार प्रचालन के लिए भारतीय पटसन निगम को आर्थिक सहायता	**92**	2852	30.00	36.59	36.59
समर्थन मूल्य के अन्तर्गत भारतीय कपास निगम की अधिप्राप्ति	**92**	2852	135.00	635.00	634.84
चीनी के निर्यात पोतारोहण पर चीनी कारखानों को आंतरिक परिवहन और भाड़ा प्रभारों की प्रतिपूर्ति	**17**	2408	300.00	285.00	285.00

(₹ करोड़)

श्रेणी	अनुदान सं.	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
चीनी उपक्रमों को आर्थिक सहायता देने की स्कीम-2007	**17**	2408	300.00	501.83	501.83
भारतीय खाद्य निगम द्वारा आयातित उर्वरकों की देखरेख में कमी की प्रतिपूर्ति	**17**	2408	0.10	0.10	0.00
खाद्य तेलों के आयात के लिए आर्थिक सहायता	**17**	2408	200.00	200.00	198.13
समुदाय आधारित सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा स्कीम के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों को आर्थिक सहायता	**33**	2235	6.39	28.00	28.00
राष्ट्रीय पोत डिजाइन तथा अनुसंधान केन्द्र को सहायता	**86**	2852	3.80	3.47	1.60
दलहन के आयात पर आर्थिक सहायता	**16**	2408	200.00	200.00	168.02
सूखा तथा अल्प वर्षा प्रभावित क्षेत्रों में डीजल संबंधी आर्थिक सहायता	**1**	3601	0.00	100.00	22.95
कुल			**3096.35**	**4369.52**	**4006.13**

वर्ष 2009-10 के लिए वेतन और भत्तों पर व्यय

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
	कृषि मंत्रालय	
1	कृषि और सहकारिता विभाग	186.24
2	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	2.76
3	पशुपालन, डेरी और मत्स्य पालन विभाग	115.54
	परमाणु ऊर्जा विभाग	
4	परमाणु ऊर्जा	1853.36
5	नाभिकीय विद्युत स्कीमें	24.51
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	
6	रसायन और पेट्रो रसायन विभाग	11.45
7	उर्वरक विभाग	13.54
8	औषध निर्माण विभाग	6.16
	नागर विमानन मंत्रालय	
9	नागर विमानन मंत्रालय	51.45
	कोयला मंत्रालय	
10	कोयला मंत्रालय	14.70
	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	
11	वाणिज्य विभाग	277.32
12	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	101.60
	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	
13	डाक विभाग	8774.17
14	दूरसंचार विभाग	126.82
15	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	331.37
	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	
16	उपभोक्ता मामले विभाग	45.32
17	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	48.99

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	
18	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	69.48
	संस्कृति मंत्रालय	
19	संस्कृति मंत्रालय	235.91
	रक्षा मंत्रालय	
20-21	रक्षा मंत्रालय (सिविल)	154.60
22-27	रक्षा मंत्रालय (रक्षा)	63058.44
	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	
28	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	11.65
	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	
29	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	252.53
	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	
30	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	140.17
	विदेश मंत्रालय	
31	विदेश मंत्रालय	851.09
	वित्त मंत्रालय	
32	आर्थिक कार्य विभाग	57.16
33	वित्तीय सेवाएं विभाग	49.17
38	व्यय विभाग	39.29
39	पेंशन*	
40	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	1998.81
41	राजस्व विभाग	160.43
42	प्रत्यक्ष कर	1833.85
43	अप्रत्यक्ष कर	2359.25
44	विनिवेश विभाग	2.92
	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	
45	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	7.24

* वेतन और भत्तों के आंकड़े अनुदान संख्या 38 में शामिल हैं।

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	
46	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	1205.89
47	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग (आयुष)	10.41
48	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग *	
	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय	
49	भारी उद्योग विभाग	11.99
50	लोक उद्यम विभाग	4.45
	गृह मंत्रालय	
51	गृह मंत्रालय	1027.68
52	मंत्रिमंडल	155.43
53	पुलिस	19986.96
54	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	161.33
	आवास और शहरी गरीबी निवारण मंत्रालय	
56	आवास और शहरी गरीबी निवारण मंत्रालय	5.76
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	
57	विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग	8.10
58	उच्चतर शिक्षा विभाग	68.35
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	
59	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	182.40
	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	
60	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	283.51
	विधि और न्याय मंत्रालय	
61	निर्वाचन आयोग	13.38
62	विधि और न्याय	90.91
63	भारत का उच्चतम न्यायालय	78.35
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	
64	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	95.67

* वेतन और भत्तों के आंकड़े अनुदान संख्या 46 में शामिल हैं।

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
	खान मंत्रालय	
65	खान मंत्रालय	437.54
	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	
66	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	8.74
	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	
67	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	18.44
	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	
68	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	7.18
	पंचायती राज मंत्रालय	
69	पंचायती राज मंत्रालय	4.32
	संसदीय कार्य मंत्रालय	
70	संसदीय कार्य मंत्रालय	4.77
	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	
71	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	337.42
	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	
72	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	14.11
	योजना मंत्रालय	
73	योजना मंत्रालय	53.79
	विद्युत मंत्रालय	
74	विद्युत मंत्रालय	85.44
	राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप राष्ट्रपति का सचिवालय	
75	राष्ट्रपति का कर्मचारीवृंद, गृह और भत्ते	16.56
76	लोकसभा	182.76
77	राज्यसभा	86.56
78	संघ लोक सेवा आयोग	66.22

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
79	उप राष्ट्रपति का सचिवालय	1.72
	ग्रामीण विकास मंत्रालय	
80	ग्रामीण विकास विभाग	22.56
81	भू-संसाधन विभाग	5.45
82	पेयजल पूर्ति विभाग	3.79
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	
83	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	303.58
84	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	6.90
85	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	10.45
	पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	
86	पोत परिवहन मंत्रालय	80.99
87	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	73.61
	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	
88	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	28.13
	अंतरिक्ष विभाग	
89	अंतरिक्ष विभाग	999.61
	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	
90	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	225.73
	इस्पात मंत्रालय	
91	इस्पात मंत्रालय	13.84
	वस्त्र मंत्रालय	
92	वस्त्र मंत्रालय	156.89
	पर्यटन मंत्रालय	
93	पर्यटन मंत्रालय	28.04
	जनजातीय कार्य मंत्रालय	
94	जनजातीय कार्य मंत्रालय	11.56

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
	संघ राज्य क्षेत्र (बिना विधानमण्डल वाले)	
95	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	816.44
96	चंडीगढ़	876.63
97	दादरा एवं नागर हवेली	91.44
98	दमन एवं दीव	78.81
99	लक्षद्वीप	116.10
	शहरी विकास मंत्रालय	
100	शहरी विकास विभाग	55.00
101	लोक निर्माण कार्य	605.11
102	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	171.60
	जल संसाधन मंत्रालय	
103	जल संसाधन मंत्रालय	403.69
	महिला और बाल विकास मंत्रालय	
104	महिला और बाल विकास मंत्रालय	23.69
	युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	
105	युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	15.31
	कुल योग	**113208.38**

₹ 1000 करोड़ से अधिक की बजट सहायता वाली मुख्य योजना स्कीमों पर व्यय

(₹ करोड़)

क्रम सं.	स्कीमें	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
	कृषि मंत्रालय			
1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	4067.31	3704.04	3758.13
2	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	1100.00	830.00	800.00
3	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	1350.00	1074.00	1017.08
	वित्त मंत्रालय			
4	सामान्य केन्द्रीय सहायता	19110.61	18045.04	17442.05
5	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	11618.62	6332.99	6124.02
6	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	9700.00	9700.00	8524.39
7	बाह्य सहायताप्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता	7500.00	12146.76	11761.25
8	अन्नपूर्णा सहित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	5109.24	5109.24	5109.24
9	विशेष योजना सहायता	4602.00	9438.00	9219.73
10	अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता	1550.00	2450.00	4157.74
11	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	1130.00	1130.00	1130.00
12	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक का साझीदार होने की अधिग्रहण लागत	1100.00	1450.00	0.00
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय			
13	केंद्रीय रूप से प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	13580.00	13150.48	12990.88
14	प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	1447.92	683.58	474.48
15	यौन संचारित रोग नियंत्रण सहित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण	1100.00	980.15	936.57
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय			
16	सर्व शिक्षा अभियान	13100.00	13100.00	12815.46
17	मध्याह्न भोजन स्कीम – प्राथमिक शिक्षा को पोषण सहायता संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम	8705.10	7359.15	6923.53
18	केंद्रीय विश्वविद्यालयों को सहायता डीएचई	2499.00	1744.00	1667.00
19	उच्चतर शिक्षा विभाग के अंतर्गत अन्य स्कीमें	1865.03	1781.85	1974.93
20	एसएआई स्टेडियमों का नवीकरण	1385.00	1493.00	1517.57

(₹ करोड़)

क्रम सं.	स्कीमें	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय			
21	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	1353.98	550.00	525.83
22	नवोदय विद्यालय समिति	1300.00	1300.00	1300.00
	पंचायती राज मंत्रालय			
23	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि पंचायती राज	4670.00	3670.00	3669.99
	विद्युत मंत्रालय			
24	ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए ब्याज सहायता – राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	7000.00	5000.00	5000.00
25	एपीडीआरपी पावर	1730.00	1430.00	1332.72
	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय			
26	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण – निवेश	8578.45	8578.45	5260.09
27	अन्य स्कीमें – राष्ट्रीय राजमार्ग	3081.55	4359.55	4266.30
28	सड़कें और सेतु	1988.55	1716.21	1340.26
29	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम	1511.00	1200.00	277.09
	ग्रामीण विकास मंत्रालय			
30	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम	39100.00	39100.00	33489.33
31	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	12000.00	11340.00	11339.81
32	ग्रामीण आवास – इंदिरा आवास योजना	8800.00	8800.00	8800.18
33	त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम	8000.00	8000.00	8037.27
34	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	2350.00	2350.00	2220.85
35	एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम	1911.00	1762.80	1760.10
36	केंद्रीय ग्रामीण सफाई स्कीम	1200.00	1200.00	1168.14
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय			
37	राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं डीएसआईआर	1085.00	1085.00	1087.00
	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय			
38	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम	1580.00	1580.00	1521.50

(₹ करोड़)

क्रम सं.	स्कीमें	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
	वस्त्र मंत्रालय			
39	प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम	3147.35	3081.19	2886.22
	जनजातीय कार्य मंत्रालय			
40	टीएसपी2 सहायता अनुदान	1000.00	399.10	399.10
	शहरी विकास मंत्रालय			
41	शहरी परिवहन में क्षमता निर्माण	1583.40	1352.85	1343.64
42	शहरी विकास मंत्रालय के अधीन सभी मेट्रो रेल निगम को पास थ्रू सहायता	1310.00	2985.00	2985.00
	महिला और बाल विकास मंत्रालय			
43	एकीकृत बाल विकास सेवाएं	6705.00	8162.00	8154.38
	कुल	**232605.11**	**230704.43**	**216508.85**

मंत्रालयों/विभागों का व्यय 2009-10
(दर्शाए गए आंकड़े प्राप्तियों और वसूलियों के निवल आंकड़े हैं)

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
1	कृषि और सहकारिता	**7018.16**	**6828.73**	**1151.40**	**1051.35**	**8169.56**	**7880.08**
	राजस्व	6947.71	6784.19	1150.75	1051.29	8098.46	7835.48
	पूंजीगत	70.45	44.54	0.65	0.06	71.10	44.60
2	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	**1760.00**	**1707.01**	**1501.36**	**1503.41**	**3261.36**	**3210.42**
	राजस्व	1760.00	1707.01	1501.36	1503.41	3261.36	3210.42
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	पशु पालन, डेरी कार्य और मत्स्य पालन	**930.00**	**870.70**	**105.70**	**100.30**	**1035.70**	**971.00**
	राजस्व	919.50	863.17	105.70	100.30	1025.20	963.47
	पूंजीगत	10.50	7.53	0.00	0.00	10.50	7.53
4-5	परमाणु ऊर्जा	**4679.00**	**4491.97**	**4363.00**	**4408.77**	**9042.00**	**8900.74**
	राजस्व	1141.97	1063.67	3671.15	3661.24	4813.12	4724.91
	पूंजीगत	3537.03	3428.30	691.85	747.53	4228.88	4175.83
6	रसायन और पेट्रो रसायन	**405.82**	**402.86**	**21.68**	**20.69**	**427.50**	**423.55**
	राजस्व	351.69	348.90	20.56	19.59	372.25	368.49
	पूंजीगत	54.13	53.96	1.12	1.10	55.25	55.06
7	उर्वरक	**200.00**	**199.67**	**53000.00**	**60416.12**	**53200.00**	**60615.79**
	राजस्व	4.00	3.68	52999.96	60416.12	53003.96	60419.80
	पूंजीगत	196.00	195.99	0.04	0.00	196.04	195.99
8	औषध निर्माण	**105.00**	**101.81**	**33.40**	**31.26**	**138.40**	**133.07**
	राजस्व	80.60	77.41	33.33	31.26	113.93	108.67
	पूंजीगत	24.40	24.40	0.07	0.00	24.47	24.40

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
9	नागर विमानन	**965.00**	**958.25**	**1016.00**	**1013.67**	**1981.00**	**1971.92**
	राजस्व	26.05	21.45	1016.00	1013.67	1042.05	1035.12
	पूंजीगत	938.95	936.80	0.00	0.00	938.95	936.80
10	कोयला	**260.00**	**236.67**	**48.85**	**43.42**	**308.85**	**280.09**
	राजस्व	260.00	236.67	48.85	46.21	308.85	282.88
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	-2.79	0.00	-2.79
11	वाणिज्य	**1500.00**	**1399.77**	**2313.63**	**2280.21**	**3813.63**	**3679.98**
	राजस्व	888.78	833.27	2313.63	2280.21	3202.41	3113.48
	पूंजीगत	611.22	566.50	0.00	0.00	611.22	566.50
12	औद्योगिक नीति और संवर्धन	**900.00**	**889.55**	**188.16**	**182.04**	**1088.16**	**1071.59**
	राजस्व	894.99	877.55	188.16	182.04	1083.15	1059.59
	पूंजीगत	5.01	12.00	0.00	0.00	5.01	12.00
13	डाक	**350.00**	**457.77**	**5473.46**	**6445.20**	**5823.46**	**6902.97**
	राजस्व	135.23	203.44	5463.46	6437.87	5598.69	6641.31
	पूंजीगत	214.77	254.33	10.00	7.33	224.77	261.66
14	दूरसंचार	**431.00**	**387.35**	**7843.99**	**8336.03**	**8274.99**	**8723.38**
	राजस्व	155.25	113.74	7843.99	8336.03	7999.24	8449.77
	पूंजीगत	275.75	273.61	0.00	0.00	275.75	273.61
15	सूचना प्रौद्योगिकी	**1700.00**	**1605.57**	**50.77**	**44.60**	**1750.77**	**1650.17**
	राजस्व	1602.00	1508.97	50.77	44.60	1652.77	1553.57
	पूंजीगत	98.00	96.60	0.00	0.00	98.00	96.60

जारी......

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
16	उपभोक्ता मामले	**164.00**	**146.22**	**253.66**	**220.66**	**417.66**	**366.88**
	राजस्व	139.85	124.16	253.66	220.66	393.51	344.82
	पूंजीगत	24.15	22.06	0.00	0.00	24.15	22.06
17	खाद्य और सार्वजनिक वितरण	**70.00**	**67.84**	**56650.98**	**59081.17**	**56720.98**	**59149.01**
	राजस्व	44.42	42.38	56649.68	59079.87	56694.10	59122.25
	पूंजीगत	25.58	25.46	1.30	1.30	26.88	26.76
18	कारपोरेट कार्य	**33.00**	**33.00**	**206.05**	**190.15**	**239.05**	**223.15**
	राजस्व	3.00	3.00	194.05	179.26	197.05	182.26
	पूंजीगत	30.00	30.00	12.00	10.89	42.00	40.89
19	संस्कृति	**630.00**	**573.27**	**624.00**	**601.76**	**1254.00**	**1175.03**
	राजस्व	584.90	540.05	624.00	601.76	1208.90	1141.81
	पूंजीगत	45.10	33.22	0.00	0.00	45.10	33.22
20-21	रक्षा (सिविल अनुमान)	**0.00**	**0.00**	**27580.49**	**38237.24**	**27580.49**	**38237.24**
	राजस्व	0.00	0.00	26322.59	37187.64	26322.59	37187.64
	पूंजीगत	0.00	0.00	1257.90	1049.60	1257.90	1049.60
22-27	रक्षा सेवाएं	**0.00**	**0.00**	**136264.00**	**141781.10**	**136264.00**	**141781.10**
	राजस्व	0.00	0.00	88440.00	90668.73	88440.00	90668.73
	पूंजीगत	0.00	0.00	47824.00	51112.37	47824.00	51112.37
28	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास	**82.00**	**85.34**	**20.21**	**20.55**	**102.21**	**105.89**
	राजस्व	22.00	20.55	16.21	16.55	38.21	37.10
	पूंजीगत	60.00	64.79	4.00	4.00	64.00	68.79

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
29	पृथ्वी विज्ञान	**793.00**	**754.37**	**341.00**	**325.46**	**1134.00**	**1079.83**
	राजस्व	578.42	557.42	338.62	324.48	917.04	881.90
	पूंजीगत	214.58	196.95	2.38	0.98	216.96	197.93
30	पर्यावरण और वन	**1650.00**	**1629.97**	**395.00**	**389.78**	**2045.00**	**2019.75**
	राजस्व	1632.39	1616.46	380.25	375.61	2012.64	1992.07
	पूंजीगत	17.61	13.51	14.75	14.17	32.36	27.68
31	विदेश मंत्रालय	**712.00**	**717.52**	**5621.00**	**5490.99**	**6333.00**	**6208.51**
	राजस्व	414.50	420.02	5096.00	5027.71	5510.50	5447.73
	पूंजीगत	297.50	297.50	525.00	463.28	822.50	760.78
32	आर्थिक कार्य	**1114.70**	**1114.60**	**6669.59**	**3449.22**	**7784.29**	**4563.82**
	राजस्व	1068.75	1068.75	3554.99	3431.86	4623.74	4500.61
	पूंजीगत	45.95	45.85	3114.60	17.36	3160.55	63.21
33	वित्तीय सेवाएं	**1450.00**	**0.00**	**23001.84**	**20776.41**	**24451.84**	**20776.41**
	राजस्व	0.00	0.00	20376.84	18776.41	20376.84	18776.41
	पूंजीगत	1450.00	0.00	2625.00	2000.00	4075.00	2000.00
34-37	आर्थिक कार्य (केंद्रीयकृत प्रावधान)	**0.00**	**0.00**	**250191.58**	**240883.58**	**250191.58**	**240883.58**
	राजस्व	0.00	0.00	250386.58	241112.93	250386.58	241112.93
	पूंजीगत	0.00	0.00	-195.00	-229.35	-195.00	-229.35
38-40	व्यय	**8.20**	**5.00**	**17797.02**	**20106.59**	**17805.22**	**20111.59**
	राजस्व	1.80	1.80	17794.32	20103.89	17796.12	20105.69
	पूंजीगत	6.40	3.20	2.70	2.70	9.10	5.90

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
41-43	राजस्व	**0.00**	**0.00**	**18138.40**	**17853.81**	**18138.40**	**17853.81**
	राजस्व	0.00	0.00	17944.76	17762.11	17944.76	17762.11
	पूंजीगत	0.00	0.00	193.64	91.70	193.64	91.70
44	विनिवेश	**0.00**	**0.00**	**42.20**	**41.48**	**42.20**	**41.48**
	राजस्व	0.00	0.00	42.20	41.48	42.20	41.48
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	**280.00**	**272.51**	**11.57**	**10.10**	**291.57**	**282.61**
	राजस्व	240.00	234.51	11.57	10.10	251.57	244.61
	पूंजीगत	40.00	38.00	0.00	0.00	40.00	38.00
46	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	**17203.00**	**16567.66**	**3014.00**	**2986.43**	**20217.00**	**19554.09**
	राजस्व	16334.71	15942.75	3014.00	2999.76	19348.71	18942.51
	पूंजीगत	868.29	624.91	0.00	-13.33	868.29	611.58
47	आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष)	**680.00**	**678.92**	**183.00**	**179.14**	**863.00**	**858.06**
	राजस्व	679.25	678.82	183.00	179.14	862.25	857.96
	पूंजीगत	0.75	0.10	0.00	0.00	0.75	0.10
48	स्वास्थ्य अनुसंधान	**400.00**	**399.90**	**200.00**	**184.07**	**600.00**	**583.97**
	राजस्व	400.00	399.90	200.00	184.07	600.00	583.97
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	भारी उद्योग	**211.00**	**209.66**	**462.00**	**866.80**	**673.00**	**1076.46**
	राजस्व	156.15	153.67	62.00	554.36	218.15	708.03
	पूंजीगत	54.85	55.99	400.00	312.44	454.85	368.43

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
50	सार्वजनिक उद्यम	**8.00**	**7.62**	**6.08**	**6.05**	**14.08**	**13.67**
	राजस्व	8.00	7.62	6.08	6.05	14.08	13.67
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51-55	गृह	**1079.13**	**939.40**	**33439.42**	**34371.36**	**34518.55**	**35310.76**
	राजस्व	520.39	402.45	28183.89	29394.07	28704.28	29796.52
	पूंजीगत	558.74	536.95	5255.53	4977.29	5814.27	5514.24
56	आवास और शहरी गरीबी निवारण	**575.00**	**564.54**	**7.50**	**7.05**	**582.50**	**571.59**
	राजस्व	575.00	564.54	7.50	7.05	582.50	571.59
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता	**22729.00**	**21858.59**	**2609.00**	**2607.48**	**25338.00**	**24466.07**
	राजस्व	22479.00	21608.59	2609.00	2607.48	25088.00	24216.07
	पूंजीगत	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00
58	उच्चतर शिक्षा	**7952.00**	**7781.18**	**6437.00**	**6182.15**	**14389.00**	**13963.33**
	राजस्व	7852.00	7681.18	6437.00	6182.15	14289.00	13863.33
	पूंजीगत	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
59	सूचना और प्रसारण	**507.00**	**473.38**	**1600.00**	**1596.86**	**2107.00**	**2070.24**
	राजस्व	316.67	303.45	1600.00	1596.86	1916.67	1900.31
	पूंजीगत	190.33	169.93	0.00	0.00	190.33	169.93
60	श्रम और रोजगार	**760.00**	**773.20**	**1573.78**	**1459.80**	**2333.78**	**2233.00**
	राजस्व	752.53	766.35	1572.44	1459.04	2324.97	2225.39
	पूंजीगत	7.47	6.85	1.34	0.76	8.81	7.61

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
61	निर्वाचन आयोग	**0.00**	**0.00**	**26.59**	**26.31**	**26.59**	**26.31**
	राजस्व	0.00	0.00	26.59	26.31	26.59	26.31
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	विधि और न्याय	**260.00**	**254.74**	**1301.64**	**1138.98**	**1561.64**	**1393.72**
	राजस्व	260.00	254.74	1260.75	1138.90	1520.75	1393.64
	पूंजीगत	0.00	0.00	40.89	0.08	40.89	0.08
63	भारत का उच्चतम न्यायालय	**0.00**	**0.00**	**98.83**	**99.13**	**98.83**	**99.13**
	राजस्व	0.00	0.00	98.83	99.13	98.83	99.13
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	**1517.76**	**1375.87**	**318.85**	**314.65**	**1836.61**	**1690.52**
	राजस्व	1508.76	1374.28	317.55	313.35	1826.31	1687.63
	पूंजीगत	9.00	1.59	1.30	1.30	10.30	2.89
65	खान	**170.00**	**152.87**	**439.38**	**441.65**	**609.38**	**594.52**
	राजस्व	133.60	120.15	439.38	441.65	572.98	561.80
	पूंजीगत	36.40	32.72	0.00	0.00	36.40	32.72
66	अल्पसंख्यक मामले	**1740.00**	**1709.41**	**15.50**	**14.03**	**1755.50**	**1723.44**
	राजस्व	1615.00	1584.41	15.50	14.03	1630.50	1598.44
	पूंजीगत	125.00	125.00	0.00	0.00	125.00	125.00
67	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	**559.45**	**538.10**	**13.32**	**12.72**	**572.77**	**550.82**
	राजस्व	539.65	518.47	13.32	12.72	552.97	531.19
	पूंजीगत	19.80	19.63	0.00	0.00	19.80	19.63

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
68	प्रवासी भारतीय कार्य	**0.00**	**0.00**	**60.00**	**56.23**	**60.00**	**56.23**
	राजस्व	0.00	0.00	57.77	54.23	57.77	54.23
	पूंजीगत	0.00	0.00	2.23	2.00	2.23	2.00
69	पंचायती राज	**110.00**	**106.35**	**0.71**	**0.47**	**110.71**	**106.82**
	राजस्व	110.00	106.35	0.71	0.47	110.71	106.82
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	संसदीय कार्य	**0.00**	**0.00**	**8.08**	**7.60**	**8.08**	**7.60**
	राजस्व	0.00	0.00	8.08	7.60	8.08	7.60
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	**238.00**	**232.98**	**479.67**	**466.63**	**717.67**	**699.61**
	राजस्व	75.94	71.07	471.00	463.32	546.94	534.39
	पूंजीगत	162.06	161.91	8.67	3.31	170.73	165.22
72	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	**25.00**	**25.00**	**15945.08**	**15941.09**	**15970.08**	**15966.09**
	राजस्व	25.00	25.00	14987.00	14983.01	15012.00	15008.01
	पूंजीगत	0.00	0.00	958.08	958.08	958.08	958.08
73	योजना	**109.00**	**86.34**	**65.82**	**70.96**	**174.82**	**157.30**
	राजस्व	88.00	69.60	65.82	70.96	153.82	140.56
	पूंजीगत	21.00	16.74	0.00	0.00	21.00	16.74
74	विद्युत	**6814.00**	**6504.14**	**-163.67**	**-209.29**	**6650.33**	**6294.85**
	राजस्व	5226.70	4951.38	-163.67	-209.29	5063.03	4742.09
	पूंजीगत	1587.30	1552.76	0.00	0.00	1587.30	1552.76

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
75-79	राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप राष्ट्रपति का सचिवालय	**0.00**	**0.00**	**705.68**	**659.92**	**705.68**	**659.92**
	राजस्व	0.00	0.00	705.68	659.92	705.68	659.92
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	ग्रामीण विकास	**62160.00**	**56594.96**	**41.40**	**42.15**	**62201.40**	**56637.11**
	राजस्व	62158.75	56587.72	41.40	42.15	62200.15	56629.87
	पूंजीगत	1.25	7.24	0.00	0.00	1.25	7.24
81	भू-संसाधन	**2020.00**	**2018.37**	**6.69**	**6.70**	**2026.69**	**2025.07**
	राजस्व	2020.00	2018.37	6.69	6.70	2026.69	2025.07
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82	पेयजल पूर्ति	**9199.00**	**9195.74**	**4.15**	**4.27**	**9203.15**	**9200.01**
	राजस्व	9199.00	9195.74	4.15	4.27	9203.15	9200.01
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	**1672.50**	**1667.41**	**368.00**	**370.89**	**2040.50**	**2038.30**
	राजस्व	1615.50	1610.29	365.72	368.94	1981.22	1979.23
	पूंजीगत	57.00	57.12	2.28	1.95	59.28	59.07
84	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान	**1279.00**	**1278.88**	**1418.75**	**1418.43**	**2697.75**	**2697.31**
	राजस्व	1274.30	1274.18	1418.75	1418.43	2693.05	2692.61
	पूंजीगत	4.70	4.70	0.00	0.00	4.70	4.70
85	जैव प्रौद्योगिकी	**902.00**	**882.78**	**23.90**	**23.78**	**925.90**	**906.56**
	राजस्व	902.00	882.78	23.90	23.78	925.90	906.56
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
86	पोत परिवहन	**548.74**	**500.00**	**812.89**	**522.84**	**1361.63**	**1022.84**
	राजस्व	131.80	128.39	836.79	549.34	968.59	677.73
	पूंजीगत	416.94	371.61	-23.90	-26.50	393.04	345.11
87	सड़क परिवहन और राजमार्ग	**14764.75**	**14226.14**	**3389.89**	**3342.05**	**18154.64**	**17568.19**
	राजस्व	7894.20	8156.95	2913.83	2854.99	10808.03	11011.94
	पूंजीगत	6870.55	6069.19	476.06	487.06	7346.61	6556.25
88	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	**2500.00**	**2448.91**	**83.00**	**81.47**	**2583.00**	**2530.38**
	राजस्व	2366.00	2314.91	83.00	81.47	2449.00	2396.38
	पूंजीगत	134.00	134.00	0.00	0.00	134.00	134.00
89	अंतरिक्ष	**3172.00**	**3168.75**	**995.00**	**994.20**	**4167.00**	**4162.95**
	राजस्व	1906.02	1882.66	995.00	994.20	2901.02	2876.86
	पूंजीगत	1265.98	1286.09	0.00	0.00	1265.98	1286.09
90	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	**94.00**	**85.41**	**337.86**	**342.78**	**431.86**	**428.19**
	राजस्व	86.10	80.43	337.86	342.78	423.96	423.21
	पूंजीगत	7.90	4.98	0.00	0.00	7.90	4.98
91	इस्पात	**16.01**	**7.14**	**74.85**	**67.56**	**90.86**	**74.70**
	राजस्व	13.00	4.14	74.85	67.56	87.85	71.70
	पूंजीगत	3.01	3.00	0.00	0.00	3.01	3.00
92	वस्त्र	**4500.00**	**4221.70**	**1412.42**	**1380.03**	**5912.42**	**5601.73**
	राजस्व	4481.50	4203.54	1246.92	1214.56	5728.42	5418.10
	पूंजीगत	18.50	18.16	165.50	165.47	184.00	183.63

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
93	पर्यटन	**950.00**	**934.48**	**70.00**	**68.49**	**1020.00**	**1002.97**
	राजस्व	942.00	927.52	70.00	68.49	1012.00	996.01
	पूंजीगत	8.00	6.96			8.00	6.96
94	जनजातीय मामले	**619.66**	**616.41**	**16.17**	**16.13**	**635.83**	**632.54**
	राजस्व	619.66	616.41	16.17	16.13	635.83	632.54
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100-102	शहरी विकास	**5539.00**	**5508.98**	**2139.22**	**2139.29**	**7678.22**	**7648.27**
	राजस्व	899.86	874.43	1765.38	1782.59	2665.24	2657.02
	पूंजीगत	4639.14	4634.55	373.84	356.70	5012.98	4991.25
103	जल संसाधन	**540.00**	**492.29**	**445.00**	**457.46**	**985.00**	**949.75**
	राजस्व	456.00	416.94	443.19	455.41	899.19	872.35
	पूंजीगत	84.00	75.35	1.81	2.05	85.81	77.40
104	महिला एवं बाल विकास	**8550.00**	**8482.32**	**74.00**	**73.67**	**8624.00**	**8555.99**
	राजस्व	8550.00	8482.32	74.00	73.67	8624.00	8555.99
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	युवा मामले और खेल	**2967.00**	**2934.87**	**739.00**	**735.26**	**3706.00**	**3670.13**
	राजस्व	2767.75	2735.95	123.97	120.26	2891.72	2856.21
	पूंजीगत	199.25	198.92	615.03	615.00	814.28	813.92
	रेलवे	**15331.30**	**16910.85**	**0.00**	**0.00**	**15331.30**	**16910.85**
	राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	पूंजीगत (शीर्ष 5002 और 5003)	15331.30	16910.85	0.00	0.00	15331.30	16910.85
I	***केंद्रीय मंत्रालय/विभाग***						
	कुल	*229163.18*	*219353.56*	*702219.44*	*716912.84*	*931382.62*	*936266.40*
	राजस्व	*187837.59*	*179250.66*	*637854.78*	*653776.95*	*825692.37*	*833027.61*
	पूंजीगत	*41325.59*	*40102.90*	*64364.66*	*63135.89*	*105690.25*	*103238.79*

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
II	राज्य योजनाएं (पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास सहित)						
	कुल	**80610.18**	**78775.11**	**0.00**	**0.00**	**80610.18**	**78775.11**
	राजस्व	**72705.68**	**70876.39**	**0.00**	**0.00**	**72705.68**	**70876.39**
	पूंजीगत	**7904.50**	**7898.72**	**0.00**	**0.00**	**7904.50**	**7898.72**
	राज्य योजनाएं	**79237.18**	**77487.14**	**0.00**	**0.00**	**79237.18**	**158097.32**
	राजस्व	71412.18	69663.08	0.00	0.00	71412.18	150273.26
	पूंजीगत	7825.00	7824.06	0.00	0.00	7825.00	7824.06
1	कृषि और सहकारिता	**3744.04**	**3794.73**	**0.00**	**0.00**	**3744.04**	**3794.73**
	राजस्व	3744.04	3794.73	0.00	0.00	3744.04	3794.73
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	वित्त - राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण	**67146.59**	**65770.31**	**0.00**	**0.00**	**67146.59**	**65770.31**
	राजस्व	59321.59	57946.25	0.00	0.00	59321.59	57946.25
	पूंजीगत	7825.00	7824.06	0.00	0.00	7825.00	7824.06
69	पंचायती राज	**3670.00**	**3670.00**	**0.00**	**0.00**	**3670.00**	**3670.00**
	राजस्व	3670.00	3670.00	0.00	0.00	3670.00	3670.00
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87	सड़क परिवहन और राजमार्ग	**1716.21**	**1340.26**	**0.00**	**0.00**	**1716.21**	**1340.26**
	राजस्व	1716.21	1340.26	0.00	0.00	1716.21	1340.26
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	कार्यक्रम कार्यान्वयन	**1580.00**	**1531.50**	**0.00**	**0.00**	**1580.00**	**1531.50**
	राजस्व	1580.00	1531.50	0.00	0.00	1580.00	1531.50
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
94	जनजातीय मामले	**1380.34**	**1380.34**	**0.00**	**0.00**	**1380.34**	1380.34
	राजस्व	1380.34	1380.34	0.00	0.00	1380.34	1380.34
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास	**1373.00**	**1287.97**	**0.00**	**0.00**	**1373.00**	**1287.97**
	राजस्व	1293.50	1213.31	0.00	0.00	1293.50	1213.31
	पूंजीगत	79.50	74.66	0.00	0.00	79.50	74.66
	पूर्वोत्तर क्षेत्र	**623.00**	**616.20**	**0.00**	**0.00**	**623.00**	**616.20**
	राजस्व	543.50	541.54	0.00	0.00	543.50	541.54
	पूंजीगत	79.50	74.66	0.00	0.00	79.50	74.66
	उत्तर पूर्व और सिक्किम के लिए केंद्रीय संसाधन पूल	**700.00**	**668.62**	**0.00**	**0.00**	**700.00**	**668.62**
	राजस्व	700.00	668.62	0.00	0.00	700.00	668.62
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के लिए विशेष पैकेज	**50.00**	**3.15**	**0.00**	**0.00**	**50.00**	**3.15**
	राजस्व	50.00	3.15	0.00	0.00	50.00	3.15
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III	**संघ राज्य क्षेत्र**	**5401.94**	**5264.65**	**4151.79**	**4181.40**	**9553.73**	**9446.05**
	राजस्व	**3867.38**	**3760.12**	**4089.30**	**4145.83**	**7956.68**	**7905.95**
	पूंजीगत	**1534.56**	**1504.53**	**62.49**	**35.57**	**1597.05**	**1540.10**
क	विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र	**2760.00**	**2680.90**	**895.67**	**885.54**	**3655.67**	**3566.44**
	राजस्व	2760.00	2680.90	823.67	813.54	3583.67	3494.44
	पूंजीगत	0.00	0.00	72.00	72.00	72.00	72.00

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
55	पांडिचेरी	**272.23**	**245.21**	**860.67**	**860.67**	**1132.90**	**1105.88**
	राजस्व	272.23	245.21	788.67	788.67	1060.90	1033.88
	पूंजीगत	0.00	0.00	72.00	72.00	72.00	72.00
55	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	**2487.77**	**2435.69**	**35.00**	**24.87**	**2522.77**	**2460.56**
	राजस्व	2487.77	2435.69	35.00	24.87	2522.77	2460.56
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख	बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र	**2641.94**	**2583.75**	**3256.12**	**3295.86**	**5898.06**	**5879.61**
	राजस्व	1107.38	1079.22	3265.63	3332.29	4373.01	4411.51
	पूंजीगत	1534.56	1504.53	-9.51	-36.43	1525.05	1468.10
95	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	**1541.59**	**1514.08**	**1179.27**	**1196.60**	**2720.86**	**2710.68**
	राजस्व	652.91	633.95	1145.78	1161.77	1798.69	1795.72
	पूंजीगत	888.68	880.13	33.49	34.83	922.17	914.96
96	चंडीगढ़	**453.39**	**455.45**	**1478.58**	**1460.79**	**1931.97**	**1916.24**
	राजस्व	162.70	164.77	1527.04	1537.16	1689.74	1701.93
	पूंजीगत	290.69	290.68	-48.46	-76.37	242.23	214.31
97	दादरा और नागर हवेली	**190.43**	**188.64**	**97.89**	**99.37**	**288.32**	**288.01**
	राजस्व	114.62	112.85	93.26	94.76	207.88	207.61
	पूंजीगत	75.81	75.79	4.63	4.61	80.44	80.40
98	दमन और दीव	**166.45**	**164.82**	**111.31**	**110.80**	**277.76**	**275.62**
	राजस्व	79.55	77.95	110.73	110.22	190.28	188.17
	पूंजीगत	86.90	86.87	0.58	0.58	87.48	87.45

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
99	लक्षद्वीप	**290.08**	**260.76**	**389.07**	**428.30**	**679.15**	**689.06**
	राजस्व	97.60	89.70	388.82	428.38	486.42	518.08
	पूंजीगत	192.48	171.06	0.25	-0.08	192.73	170.98
	कुल जोड़	*315175.30*	*303393.32*	*706371.23*	*721094.24*	*1021546.53*	*1024487.56*
	राजस्व	*264410.65*	*253887.17*	*641944.08*	*657922.78*	*906354.73*	*911809.95*
	पूंजीगत	*50764.65*	*49506.15*	*64427.15*	*63171.46*	*115191.80*	*112677.61*

वर्ष 2009-10 के लिए ₹ 100 करोड़ तथा इससे अधिक की बचत वाले अनुदान/विनियोग

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या और अनुदान अथवा विनियोग का नाम			अनुदान / विनियोग की राशि		व्यय		बचत	
			राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
001	कृषि और सहकारिता विभाग	**स्वीकृत**	12045.53		11890.40		155.13	
003	पशुपालन, डेरी कार्य और मत्स्य पालन विभाग	**स्वीकृत**	1564.99		1231.90		333.09	
004	परमाणु ऊर्जा	**स्वीकृत**	4719.57	2605.55	4568.77	2496.45	150.80	109.10
005	नाभिकीय विद्युत स्कीमें	**स्वीकृत**	2419.57		2002.11		417.46	
007	उर्वरक विभाग	**स्वीकृत**	64604.46		64053.90		550.56	
015	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	**स्वीकृत**	2484.02		1600.46		883.56	
017	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	**स्वीकृत**	60143.60		59917.99		225.61	
020	रक्षा मंत्रालय	**स्वीकृत**		1473.84		1049.20		424.64
028	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	**स्वीकृत**		290.31		160.87		129.44
031	विदेश मंत्रालय	**स्वीकृत**	5807.98		5528.26		279.72	
032	आर्थिक कार्य विभाग	**स्वीकृत**	5636.44	16899.91	5327.78	4619.34	308.66	12280.57
033	वित्तीय सेवाएं विभाग	**स्वीकृत**	36471.54	5341.00	34598.82	3266.00	1872.72	2075.00
034	विनियोग-ब्याज अदायगियां	***प्रभारित***	*230697.40*		*223700.84*		*6996.56*	
035	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	***प्रभारित***	*34394.08*	*8825.00*	*29594.08*	*7824.06*	*4800.00*	*1000.94*
		स्वीकृत	77266.11		71558.10		5708.01	

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या और अनुदान अथवा विनियोग का नाम			अनुदान / विनियोग की राशि		व्यय		बचत	
			राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
036	सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि	**स्वीकृत**		360.00		239.86		120.14
037	विनियोग-ऋण की पुनर्अदायगी	***प्रभारित***		*3248205.07*		*3085791.90*		*162413.18*
042	प्रत्यक्ष कर	**स्वीकृत**	2883.98	618.00	2725.85	9.30	158.13	608.70
043	अप्रत्यक्ष कर	**स्वीकृत**		290.00		85.14		204.86
044	विनिवेश विभाग	**स्वीकृत**	42.20	5379.90	41.48			5379.90
046	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	**स्वीकृत**	21024.27	1700.77	20420.63	704.59	603.64	996.18
049	भारी उद्योग विभाग	**स्वीकृत**		536.48		368.43		168.05
053	पुलिस	**स्वीकृत**	27094.73	7521.81	26808.81	5269.71	285.92	2252.10
056	आवास और शहरी गरीबी निवारण मंत्रालय	**स्वीकृत**	857.97		581.76		276.21	
057	विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग	**स्वीकृत**	43090.62	750.00	38322.88	250.00	4767.74	500.00
058	उच्चतर शिक्षा विभाग	**स्वीकृत**	15516.17	100.00	13963.57	100.00	1552.60	
059	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	**स्वीकृत**	2120.06	448.01	1900.31	169.93	219.75	278.08
060	श्रम और रोजगार मंत्रालय	**स्वीकृत**	2702.67		2517.41		185.26	
062	विधि और न्याय	**स्वीकृत**	1637.12		1393.64		243.48	
064	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	**स्वीकृत**	2023.04		1687.97		335.07	

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या और अनुदान अथवा विनियोग का नाम			अनुदान / विनियोग की राशि		व्यय		बचत	
			राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
069	पंचायती राज मंत्रालय	**स्वीकृत**	4780.71		3776.82		1003.89	
073	योजना मंत्रालय	**स्वीकृत**	474.79		140.56		334.23	
074	विद्युत मंत्रालय	**स्वीकृत**	10851.66	1916.00	8525.99	1579.76	2325.67	336.24
080	ग्रामीण विकास विभाग	**स्वीकृत**	122505.30		111362.38		11142.92	
081	भू-संसाधन विभाग	**स्वीकृत**	2405.64		2025.07		380.57	
085	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	**स्वीकृत**	1024.02		906.56		117.46	
086	पोत परिवहन विभाग	**स्वीकृत**	1442.46	508.14	829.20	401.81	613.26	106.33
087	सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग	**स्वीकृत**	16895.19	16153.00	13796.20	14165.10	3098.99	1987.90
089	अंतरिक्ष विभाग	**स्वीकृत**		2050.76		1286.09		764.67
090	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	**स्वीकृत**	2104.75		1954.71		150.04	
092	वस्त्र मंत्रालय	**स्वीकृत**	11858.22		11560.14		298.08	
094	जनजातीय कार्य मंत्रालय	***प्रभारित***	*2894.98*		*1782.33*		*1112.65*	
097	दादरा और नागर हवेली	**स्वीकृत**	1984.93		1266.35		718.58	
098	दमन और दीव	**स्वीकृत**	783.73		605.30		178.43	